

पत्रकारिता के अनुभव

*

इन्द्र विद्यावाचस्पति

नेशनल पब्लिशिंग हाउस
६६, दरियागंज, दिल्ली

निवेदन

कई महीने पहले की बात है। अद्वेय इन्द्र जी ने एक दिन हमें बुलाया, इस पुस्तक की पाण्डुलिपि दिखाई और कहा कि तुम चाहो तो इसे प्रकाशित कर लो। हमने अपने-आप को गौरवान्वित समझा और पाण्डुलिपि लेकर चले आये।

भाज वह पाण्डुलिपि मुद्रित होकर प्रकाशित हो रही है परन्तु इसे अपने समर्थ शब्दों के साथ सर्वसाधारण को भेंट करने वाले वे भाजानु-वाहू हमारे बीच में नहीं हैं! अपनी इस अत्यन्त प्रिय वृत्ति के माधे से अधिक प्रूफ देखने की अनुकम्पा भी उन्होंने की थी परन्तु इसके सम्बन्ध में वे जो कुछ कहना चाहते थे वह उनके साथ वहाँ चला गया है, जहाँ किसी शरीरधारी का प्रवेश भाज तक नहीं हुआ।

अद्वेय इन्द्र जी की अनुपस्थिति में उनकी सहधर्मिणी परमादरणीया चन्द्रवती जी ने हमारी प्रार्थना पर शोकाकुल अवस्था में भी 'दो शब्द' लिख देने की जो अनुकम्पा की है उसके लिए हम आभारी हैं।

—प्रकाशक

क्रम

| | | |
|--|------|-----|
| १. धाँसव | **** | १ |
| २. दिल्ली में | **** | ६ |
| ३. दैनिक 'विजय' | *** | १६ |
| ४. साप्ताहिक 'सरयवादी' | **** | २६ |
| ५. दैनिक 'मजुन' | *** | ३७ |
| ६. पूंजीपतियों से संपर्क | *** | ५२ |
| ७. दैनिक 'नवराष्ट्र' | *** | ६६ |
| ८. बटुम्पुठि | *** | ७० |
| ९. समाचारपत्र का प्रारम्भ काल | *** | ७८ |
| १०. समाचारपत्र के उपयोग | **** | ८५ |
| ११. समाचारपत्रों की शक्ति | *** | ९४ |
| १२. भारत में पत्रकारिता क्या व्यवसाय बनेगी ? | | १०२ |

चित्र-सूची

१. साला मुंशीराम
२. महात्मा मुंशीराम
३. श्री हरिदचन्द्र
४. श्री गोविन्दराम सेकसरिया
५. स्व० इन्द्रविद्यावाचस्पति
६. मेठ जुगुनकिशोर विहला
७. 'मजुन' के सम्पादकीय मण्डल में इन्द्र जी
८. दैनिक 'नवराष्ट्र' का उद्घाटन
९. इन्द्र जी, श्री वियोगी हरिजी और गोस्वामी गणेशदास जी
१०. इन्द्र जी की हस्तलिपि

श्लेष

यह भी तो आकस्मिक घटना ही है कि जिम वर्ष मेरे पिता जी ने साप्ताहिक 'मद्धर्म प्रचारक' पत्र का सम्पादन और प्रकाशन प्रारम्भ किया, उसी वर्ष मेरा जन्म हुआ, चायद बचपन से ही मेरे मन में पत्रकार बनने की धुन होने का मुख्य कारण यही हो। मेरे अग्रज भाई हरिश्चन्द्र जी मुझ से दो वर्ष बड़े थे। घर से एक साप्ताहिक पत्र निकलने का मस्कार उनके मन पर भी पड़ रहा था। परिणाम यह हुआ कि जब हम दोनों भाई बुद्ध पढ़ने-लिखने लगे तो हमने जो पहला महोद्योग किया वह एक छोटे से हस्तलिखित पत्र के रूप में था, जिसका नाम 'सत्य प्रकाशक' या 'सत्य विचारक' रखा गया था। पर मैं बड़ी बहनों के लिए 'गरम्बती' छाया करती थी। उन दिनों की 'सरस्वती' नयागता बधू की तरह नव की गाढ़ी और आतंक होती थी। हम दोनों भाई दूर दूर बैठ कर उनके मुन्दर चित्र देखा करने और कहानियाँ पढ़ा करते थे। हमारे महोद्योग के तैयार होने वाले उस हस्तलिखित अनामिक पत्र पर 'मद्धर्म प्रचारक' और 'गरम्बती' दोनों की छाप रहती थी। हम

प्रचारक' को उर्दू से हिन्दी में परिवर्तित कर दिया। पहले वह जालधर से निकलता था, अब गुरुकुल कांगड़ी से निकलने लगा। यह पत्र उस समय आर्यसमाज का मुख्य प्रचारक माना जाता था। इसमें अप्रलेख प्रायः पिता जी की लेखनी से निकले हुए होते थे, जो आर्य समाजियों के लिए पथ-प्रदर्शन का काम देते थे।

जिन दिनों की बात मैं सुनाने लगा हूँ, उन दिनों पं० ब्रह्मानन्द जी (स्वामी ब्रह्मानन्द जी) 'सद्धर्म प्रचारक' के सहायक सम्पादक थे। पिता जी वहीं वाहर गए हुए थे। सम्पादन का कार्य मुख्य रूप से पं० ब्रह्मानन्द जी ही करते थे। आर्य समाज के प्रसिद्ध विद्वान् पं० शिवशंकर जी काव्य-तीर्थ ने वैदिक साहित्य पर कुछ अन्वेषणात्मक ग्रन्थ लिखे थे। काव्यतीर्थ जी हमारे अध्यापक भी थे। उनके ग्रन्थों को पढ़ कर मेरे मन में, न जाने क्यों, कुछ विद्रोह-सा पैदा हुआ। उस समय मैं वायद गुरुकुल की तेरहवीं श्रेणी में पढ़ता था। एक दिन जोश जो आया तो काव्यतीर्थ जी के ग्रन्थों की मालोचना में एक लम्बा लेख लिख डाला; यद्यपि इसका कोई विशेष कारण नहीं था कि उस लेख में काव्यतीर्थ जी और उनके ग्रन्थों के सम्बन्ध में इतने व्यंगों और तीखे उपहासों का प्रयोग किया जाता, पर सम्भवतः उस समय की हिन्दी मालोचना-प्रणाली का मेरे युवक-हृदय पर ऐसा असर हुआ कि उस लेख में तीव्रता के साथ रोचकता भी गई। यह लेख तो कर में उन-सम्पादक जी के पास पहुँचा और निवेदन किया कि आर्य समाज को 'सद्धर्म प्रचारक' में प्रकाशित कर

दोजिए । वे दुविधा में पड़ गए । लेख उन्हें पसन्द आया, पर उसे छापें कैसे ? गुरुकुल के एक छात्र का निस्सा हृष्टा लेख और वह भी एक अध्यापक के ग्रन्थों की आलोचना ! लेकिन उप-संपादक जी को लेख पसन्द आ चुका था । अनः परामर्श के पदचान् यह निश्चय हुआ कि लेख तो प्रकाशित किया जाए, परन्तु उसमें मेरा नाम न रहे । साथ ही यह भी निश्चय हुआ कि यह बात सर्वथा गुप्त रखी जाए कि लेख किमत्ता है । प्रेस वालों को सर्वथा सावधान कर दिया जाए कि वे रहस्योद्भेद न होने दें । मैंने अपना उरनाम उस लेख के लिए 'क्ष' रखा ।

लेख प्रकाशित हो गया, तो आर्य जगत में बहून हलचल मच गई । काव्यतीर्थ जी आर्य-महाज के प्रमुख विद्वान् थे । उनके ग्रन्थों की तीव्र आलोचना से आर्य लोग अममंजम में पड़ गए और सोचने लगे कि क्या सचमुच काव्यतीर्थ जी ने सिद्धान्त-विरुद्ध बातें लिखी हैं ? गुरुकुल में तो रात-दिन चर्चा ही उन लेख की होती थी । काव्यतीर्थ जी वही रहते थे और वेद पढ़ाते थे । चर्चा का विशेष विषय यह था कि लेख का लेखक कौन है ? पढ़ाई के समय श्रेणी में चर्चा चली, तो काव्यतीर्थ जी ने स्वानाविक रोष भरे शब्दों में कहा, "वह बड़ा धूर्त है, जिन्होंने अपना नाम छिपा लिया है । वह नास्तिक मान्य होता है ।"

सब लोगों ने 'क्ष' के बारे में अपनी अपनी कल्पनाएँ की । आर्य महाज में ऐसे विद्वान् तो अनेक थे, जो सर्वथा कट्टरपन्थी होने के कारण उस लेख के छिपे लेखक समझे जा सकते थे,

परन्तु वे संस्कृत के विद्वान् नहीं थे और जो संस्कृत के विद्वान् थे, वे नवीन शैली की हिन्दी के लेखक नहीं थे। लोग इसी चक्कर में पड़ कर यह न समझ सके कि 'क्ष' के आवरण में छिपा हुआ कौन व्यक्ति है।

काव्यतीर्थ जी ने 'क्ष' के लेख का लम्बा और युक्तिपूर्ण उत्तर लिख कर 'सद्धर्म प्रचारक' के उप-संपादक को भेज दिया। अगले सप्ताह वह भी छप गया। अब मेरे सामने यह प्रश्न उठा कि उस लेख का उत्तर दिया जाय या नहीं? दूरदक्षिणा कहती थी कि न दिया जाए और इस वाग्विलास को समाप्त किया जाए, परन्तु बचपन का उत्साह उकसाता था कि प्रतिपक्षी के लेख का उत्तर अवश्य दिया जाए। अन्त में बचपन की जीत हुई और मैंने काव्यतीर्थ जी के लेख का उत्तर दूसरे ही सप्ताह 'सद्धर्म प्रचारक' में प्रकाशित करा दिया। उस लेख की भाषा पहले लेख की भाषा की अपेक्षा भी अधिक तीखी और व्यंग्यपूर्ण थी। उससे काव्यतीर्थ जी बहुत विचलित हो गए और यह खोज लगाने के लिए कि लेखक कौन है, साहीर चले गए। वहाँ पांच-चार दिन रह कर बहुत छान-बीन की, परन्तु कुछ हाथ न लगा। गुरुकुल वापस आकर उन्होंने दूसरे लेख का उत्तर भी प्रकाशित कराया। दूसरे लेख में काव्यतीर्थ जी ने अपना रोय काफ़ी उग्र शब्दों में प्रकट करते हुए लेखक के लिए 'कायर' आदि अनेक विशेषणों का प्रयोग किया।

मैं अब गममत्ता हूँ कि मुझे तीसरा लेख बिलकुल नहीं लिगना चाहिए था, पर उस समय लेखनी की रुजली की मैं

न रोक सका और उस विवाद का तीसरा लेख लिख कर प्रकाशित करा दिया। उस लेख के प्रकाशित होने के परचा मुझे स्वयं बड़ा दुःख हुआ, क्योंकि काव्यतीर्थ जी बहुत दुःखी हो गए थे। उन्हें दुःख देना मुझे मनोप्य नहीं था। मैंने तो केवल वाग्विलास ममक कर निगना धारमन किया था; उनसे काव्यतीर्थ जी मित्र होकर रोगी हो जाएँगे, यह मुझे पता नहीं था। काव्यतीर्थ जी मुस्त और रोगी हो गए और वह लेख मान्मूल्य ममाप्य हो गया।

ये तीन लेख पत्रकारिता के क्षेत्र में मेरे पहले पत्र थे। उनकी स्यायी उपयोगिता कुछ भी नहीं थी; तो भी मुझे यह अनुभव करके कुछ सन्नोय सा हुआ कि पाठकों ने उनकी स्तुति या निन्दा जो कुछ भी की, गूब जोर से की। मैंने समना कि और कुछ बनूँ या न बनूँ, मैं लेखक भवस्य बन सकूँगा।

दैनिक पत्र के सम्पादन का पहला परीक्षण

मेरी पत्रकारिता की और प्रवृत्ति और लेखक बनने की महत्वाकांक्षा को पुष्टि देने का अवसर शीघ्र ही आ गया। इंग्लैंड के राजा, भारत के सम्राट्, भारतवासियों के हृदयों में राजमणि को जागृत करने के लिए भारतवर्ष में आए और दिल्ली में उनका दरबार हुआ। उस अवसर पर मेरे अत्यन्त आग्रह पर राजा जी ने निश्चय किया कि कुछ दिनों के लिए 'महम्मद प्रचारक' का दैनिक संस्करण निकाला जाए। मैं अभी विद्यार्थी ही था, स्नातक नहीं बना था। दैनिक के सम्पादन का कार्य मैंने अपने जिम्मे लिया। गुरुकुल का प्रेस तो बाकी

बड़ा था; गंगा के पार उस बनस्थली में दैनिक पत्र के लिए सामग्री कहाँ से मिलती। तो भी बहुत प्रयत्न करके कुछ दिनों तक—शायद दस दिन तक—‘सद्धर्म प्रचारक’ का दैनिक संस्करण निकाला गया। आर्थिक दृष्टि से तो वह पूरी तरह घाटे का सौदा था—न स्थानीय बिक्री थी और न एजेंसियों का प्रबन्ध। बस इतनी सन्तोष की बात समझिए कि दैनिक संस्करण निकालने के कारण ‘सद्धर्म प्रचारक’ की ख्याति में वृद्धि हो गई और मैं यह अनुभव करने लगा कि मैं दैनिक पत्र निकाल सकता हूँ।



दिल्ली में

गुरुकुल विश्वविद्यालय से वेदान्तकार की उपाधि प्राप्त करने के एक वर्ष पश्चात् में दिल्ली चला आया जहाँ लगभग एक वर्ष तक साप्ताहिक 'सद्धर्म प्रचारक' का संपादन करता रहा। 'सद्धर्म प्रचारक' का और मेरा जन्म का सम्बन्ध था। जिस वर्ष (१८८६ में) पिता जी ने जालंधर से उठूँ में 'सद्धर्म-प्रचारक' निकाला उसी वर्ष मेरा जन्म हुआ। प्रारम्भ से ही 'सद्धर्म प्रचारक' भायं समाज का प्रमुख पत्र समझा जाने लगा था। कई वर्षों तक उठूँ में निकलता रहा। गुरुकुल में जाने के पश्चात् पिता जी ने उसे हिन्दो में कर दिया। पिता जी के गुरुकुल में स्थिर रूप से रहने के कारण जब जालंधर से पत्र का चलना कठिन प्रतीत होने लगा, तब प्रेस और पत्र दोनों ही हरिद्वार पहुँच गए। और उन्होंने प्रेस को गुरुकुल काँगड़ी को दान कर दिया। परन्तु 'सद्धर्म प्रचारक' पत्र अपने ही पाम रगा। पिता जी उसकी स्वाधीनता की मुरझित रमना चाहते थे। १९१६ में पिता जी संन्यास लेकर गुरुकुल में दिवंगत होने गए थे परन्तु मुझे पहले ही 'सद्धर्म प्रचारक' के संपादन का कार्य देकर दिल्ली भेज दिया था। १९१३ में हिन्दो का

साप्ताहिक 'सद्धर्म प्रचारक' मेरे सम्पादकत्व में दिल्ली से निकलने लगा ।

वह मेरा गुरुकुल की सुरक्षित भूमि से बाहर की दुनिया में पहला अनुभव था । उससे पूर्व 'सद्धर्म प्रचारक' मुख्य रूप से धार्मिक पत्र समझा जाता था । पिताजी कभी कभी सामयिक राजनीति के विषयों पर स्वतन्त्र सम्मति दिया करते थे । परन्तु उसका भी उपसंहार प्रायः धार्मिक संदेश में होता था । छात्रावस्था से ही मेरा भुकाव राजनीति की ओर था । शिक्षा और दीक्षा धार्मिक हुई और आन्तरिक प्रवृत्ति राजनीति की ओर थी । फलतः क्रियात्मक जीवन के प्रारम्भ से ही मेरी कार्य प्रणाली में धर्म और राजनीति का मिश्रण हो गया था । मेरे सम्पादकत्व में दिल्ली से निकलने वाला 'सद्धर्म प्रचारक' उस मिश्रण का एक नमूना था । अप्रलेख प्रायः राजनीतिक विषयों पर रहता था और टिप्पणियों में सामाजिक विषयों की प्रधानता होती थी । मेरे लिए यह निश्चय करना फटिन है कि विषयों के इस मिश्रण का कारण मुख्य था भ्रष्टाचार मेरी लेख-शैली को पाठकों ने पसन्द किया, दिल्ली पहुँचने पर एक वर्ष के अन्दर ही पत्र की माहक संख्या लगभग तिगुनी हो गई । जब पत्र दिल्ली से निकलने लगा तब उसकी माहक संख्या १२०० के लगभग थी और वर्ष के अन्त में यह चार हजार की छू रही थी ।

यद्यपि स्वयं अपनी लेख-शैली के सम्बन्ध में कुछ लिखना दुःसाहस का कार्य है और शायद उसे महम्मन्वयता का चिह्न भी समझा जा सकता है परन्तु जब अपने अनुभव लिखने ही

लगा हूँ तो अनुभवों के एक अत्यन्त आवश्यक अंग को अङ्गना कैसे छोड़ दूँ ? पहले मैं अपनी भाषा की सबसे बड़ी त्रुटि धतलाऊँगा। हमारे शिक्षाकाल में गुरुकुल में हिन्दी का प्रयोग शिक्षा के माध्यम के रूप में ही किया जाता था। उसके साहित्य तथा व्याकरण की पढ़ाई नहीं होती थी। मैंने हिन्दी का व्याकरण सर्वथा नहीं पढ़ा। इस कारण मेरी हिन्दी प्रारम्भ में मुख्य रूप से संस्कृत के सचि में बन गई। हमें संस्कृत का व्याकरण ही पढ़ाया जाता था। जब मैंने अपनी सबसे प्रथम पुस्तक 'नेपोलियन बोनापार्ट' प्रकाशित की तब उसके समालोचकों ने प्रधान रूप में दो बातें लिखीं—पढ़नी बान तो यह थी कि भाषा में हिन्दी-व्याकरण सम्बन्धी अनेक दोष हैं, और दूसरी यह थी कि भाषा जोरदार और स्पष्ट है। जहाँ तक मैं समझ सका हूँ मेरी भाषा के स्पष्ट होने का मुख्य कारण यह है कि मैं लिखने के समय पाठकों के माथ धपना एकीभाव कर देता हूँ। प्रत्येक वाक्य निराते हुए यह ध्यान रखता हूँ कि मेरे शब्द पढ़ने वालों तक मेरे हृदय के भावों की सरल और स्पष्ट रीति से पहुँचा दंगे अथवा नहीं।

“वक्तुरेव हि तज्जाड्यम्
यत्र श्रोता न शुध्यते”

यदि मुनने या पढ़ने वाले ने न समझा तो वक्ता या लेखक की मूर्खता अमरिग्य है। भाषा का अन्कार यहीं तक शोना-जनक या उपयोगी हो सक्ता है जहाँ तक यह लेखक के अभिप्राय में शठिना उत्पन्न न करे। मदा यह ध्यान रखने

से मुझे अपने पाठकों के हृदय तक पहुँचने में थोड़ी बहुत सफलता प्राप्त हुई है। उस सफलता ने मेरी हिन्दी-व्याकरण की अनभिज्ञता को थोड़ा बहुत ढक दिया है। इतने वर्षों तक लिखते-लिखते व्यावहारिक व्याकरण का कुछ बोध हो जाने पर भी मैं समझना हूँ कि हिन्दी-व्याकरण के विशेषज्ञ आज भी मेरी भाषा में से "भाषा की अनस्थिरता" के दृष्टान्त पा सकते हैं। इस न्यूनता के रहते भी प्रारम्भ में ही पाठकों के साथ मेरा जो एकीभाव स्थापित हुआ, वही वस्तुतः मेरी साहित्यिक निधि है।

इस प्रसंग से भाई हुई चर्चा के लिए धामा माँग कर मैं 'सद्धर्म प्रचारक' की ओर मुड़वा हूँ। मेरे लिए दिल्ली शहर भी नया था और स्वतन्त्र रूप से पत्र-संपादन भी नया। चौबीस, पच्चीस वर्ष के पुराने धर्म विषयक पत्र पर राजनीति का पैबन्द लगाना और भी नई बात थी। 'प्रचारक' के बहुत से पुराने पाठकों को नया ढंग पसन्द नहीं आया। उन्होंने इस परिवर्तन को कलिकाल का ही एक स्पष्ट प्रमाण समझा परन्तु सामान्य रूप से लोगों ने 'प्रचारक' के नए रंग-ढंग को पसन्द किया। संभवतः उसके प्रति पुराने पाठकों की जो श्रद्धा थी उसकी घनता में कुछ न्यूनता आ गई। परन्तु उन्होंने भी पत्र को पटना नहीं छोड़ा। नए पाठकों ने उसकी गतिविधि को पसन्द किया, जिससे ग्राहक संख्या में वृद्धि हो गई।

इस प्रकार सामान्य रूप से तो दिल्ली में पत्रकारिता का यह पहला वर्ष सफल ही रहा परन्तु एक बात मैंने अवश्य धन्य कर ली कि पैबन्द लगाने से कुछ अनस्थिरियों की तो

उन्नति हो सकती है परन्तु समाचार पत्र जैसी संस्थाएँ पूरी तरह विकसित नहीं हो सकतीं। उनका एक परिमित और निश्चित लक्ष्य होना ही उपयुक्त है। वर्ष के अन्त में मैं इस परिणाम पर पहुँच गया कि यद्यपि नई पद्धति पर चलने से 'प्रचारक' की पाठक संख्या बढ़ गई है तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि उसका प्रभाव बट गया है। प्रभाव का अन्विष्ट है प्रेरणा। जब तक कोई पत्र पाठकों को प्रेरणा न दे सके, तब तक वह सार्थक नहीं हो सकता। और जिस पत्र का कोई निश्चित दृष्टिकोण तथा क्षेत्र नहीं है शायद उसे व्यापार का नाम दिया जा सके किन्तु उसे राष्ट्र का संचालक यन्त्र नहीं कहा जा सकता। फलतः मैं इस परिणाम पर पहुँच गया था कि 'सद्वर्ग प्रचारक' को उसके पुराने धार्मिक रूप में मुरझित करके एक नया राजनीतिक पत्र निकाला जाए जिसमें अपने हृदय की भावना और लेखनों की कटुति को सफल करने का पूरा अवसर मिल सके।

अभी नया पत्र निकालने की योजना गर्भावस्था में ही थी कि मेरे कार्यक्रम में आकस्मिक परिवर्तन घा गया। मेरे बड़े भाई हरिश्चन्द्र जी, जो स्नातक बनने के पञ्चान् गुरुकुल में उपाध्याय का कार्य करने लगे थे, गुरुकुल छोड़ कर दिल्ली घा गए और मुझे गुरुकुल जाना पड़ा।

साप्ताहिक 'विजय'

मैंने गुरुकुल जाने से पूर्व अपने अनुभव का परिणाम भाई जी को बताना दिया था। भाई जी किसी विचार को कार्य में परिणत करने में विद्यन्व

दैनिक 'विजय'

भारत की राजनीतिक क्रान्ति के इतिहास में १९१८ के अन्त और १९१९ के प्रारम्भ के कुछ मास चिरस्मरणीय रहेंगे। १९१८ के दिसम्बर मास के अन्तिम सप्ताह में दिल्ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ। उसमें प्रस्तावित 'राल्ट विलों' का विरोध करते हुए जो भाषण दिए गए उनमें यह घमकी स्पष्ट रूप से विद्यमान थी कि यदि सरकार ने सीधी तरह राष्ट्र की आवाज को गुन कर काले कानूनों को बनाने का विचार न छोड़ा तो आन्दोलन के वे साधन भी काम में लाए जाएंगे जो वैधानिक नहीं कहला सकते। मैं उन दिनों गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ में आचार्य का काम कर रहा था। मैंने भी 'सद्वर्ग प्रचारक' के प्रतिनिधि के तौर पर अधिवेशन में भाग लिया। जोशीले भाषणों से मेरी भाषी सोई हुई राजनीतिक प्रवृत्ति उत्तेजित हो उठी और मैंने शिक्षक का कार्य छोड़ कर दिल्ली से दैनिक पत्र निकालने का निश्चय कर लिया।

दैनिक पत्र निकालने का निश्चय तो कर लिया परन्तु तबके लिए जिन साधनों की आवश्यकता है वे कहीं से प्राप्त होने पर लागू भर के लिए भी विचार नहीं किया। यह मेरी पुत्रावस्था का दोष था या अपरिमित आशावाद का, या

दोनों का सम्मिलित, आज इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है। जेब या बैरु में एक भी पैसा नहीं था, उस कठिन कार्य में महायत्ना देने वाला व्यक्ति भी दृष्टि के नामने नहीं था और पत्र के छापने के लिए प्रेम की आवश्यकता होगी इस पर भी गम्भीरता से विचार नहीं किया था। 'वन बँदरुन रोड' नया बाजार (वर्तमान श्रदानन्द मार्ग) उन दिनों नया-नया बन रहा था। लाहौरी दरवाजे के पान के दो चक्र तैयार हो चुके थे। उसमें पहले चक्र के दूसरे मकान की एक मंजिल किराये पर ले कर और उस पर दैनिक 'विजय' का साइन-बोर्ड लगा कर मैंने यह समझा कि दैनिक पत्र के प्रकाशित होने का उद्योग-पथ पूरा हो गया।

परन्तु जब दूसरे दिन चट्टाई डाल कर और 'डेम्क' पर कागज गूँथ कर इति वनव्यगाओं की सूची बनाने लगा तो प्रतीत हुआ कि अभी तो चित्रपट भी नहीं है, चित्र बनाने की सामग्री और चित्र का तो स्वप्न लेना भी सम्भव नहीं। ऐसे संकट के समय में ईश्वरीय महायत्ना मिलनी आरम्भ हुई। अल्प उद्देश्य से किए गए साहसिक कार्य ईश्वर की महायत्ना से ही पूरे हुआ करते हैं। पहली महायत्ना एक साथी के रूप में मिली। साथी का नाम श्री तारिणी प्रसाद सिंह था। संघर्ष में उनका नाम था टी. पी. मिन्हा। टी. पी. मिन्हा अनेक विनोदनाओं के कारण अद्भुत प्राणी थे। पहले उनकी पेश-भूषा का विवरण सुनिए। गिर पर मध्ये और दुँपराने वाला रंगते थे, दिन में गिनी मसल एक बार बानों में बंधी कर लेने से अन्वया उनमें गर्द निनके प्रादि अनेक पदार्थ

उलझे रहते थे। वेश विहारियों का सा था, खट्टर का सम्झा कुर्त्ता, घोती और चप्पल ! मूछें और दाढ़ी भी बड़ी हुई थीं। रूप रंग में जो कमी थी वह उनके वाक् चातुर्य से पूरी होती थी। अंग्रेजी धाराप्रवाह बोलते थे। उच्चारण सर्वथा अंग्रेजों का-सा था। 'थियोसोफी' में रहने के कारण अंग्रेजी बातचीत में असाधारण कुशलता प्राप्त थी। अपनी भाषा में तो कहना ही क्या। नए से नए आदमी को दो मिनट में दोस्त बना लेते थे, दिन भर उसके साथ घूम कर चार पाँच उसके काम बना देना और पाँच सात अपने काम निकाल लेना साधारण बात थी। हम लोग उन्हें कहा करते थे "भाप सच-मुच टी. पी. सिन्हा हैं।" क्योंकि वे घर से कभी नास्ता लेकर नहीं चलते थे। जिस किसी के यहाँ जाते थे उसी के यहाँ चाय (टी) पीते थे। उनकी कार्य-प्रणाली या अनुमान मेरे कार्य से सम्बन्ध रखने वाले एक दृष्टान्त से लग सकेगा।

हम दोनों ने मिल कर निश्चय किया कि पत्र का नाम 'विजय' रखा जाय। मुझे यह विचार पसन्द आया, क्योंकि उसमें भाई हरिदचन्द्र जी द्वारा चलाए हुए 'विजय' का पुन-जीवन होता था। सिन्हा साहब के मन में क्या था, यह मालूम नहीं। जब पत्र के लिए 'डिप्लोमेशन' लेने का प्रश्न उत्पन्न हुआ, तब मैंने यह सन्देह प्रकट किया कि मेरी सरकारी टायरी अच्छी नहीं है; इस कारण समय है मुझ जैसे राजद्रोही को डिप्लोमेशन लेने में अगुविधा हो। इस पर सिन्हा साहब ने मुझे आश्वासन दिया कि डिप्लोमेशन की भाप बिन्ता न करें। मैं बस शाम तक 'डिप्लोमेशन' लाकर भापके हाथ में दे

दूंगा।" इस बड़े हुए आत्म-विश्वास पर मुझे हँसी तो आई परन्तु मैं चुप हो गया। दूसरे दिन प्रातः काल बिना प्रातराश्रय लिए वह प्रतिज्ञा-पूर्ति की मुहिम पर चल दिए। दिन-भर अनुपस्थित रहे। हम सोच यह सोचते रहे कि शाम को सिन्हा साहब कोरे हाथ लौटेंगे, क्योंकि 'डिक्लरेशन' मिलने में तो सामान्य रूप से कई सप्ताह व्यतीत हो जाते हैं। एक दिन में मला काम कैसे पूरा होगा? शाम के ६ बजे के लगभग हम सोच आश्चर्य में पड़ गए, जब तारिणी प्रसाद जी ने 'डिक्लरेशन' का स्वीकृत घोषणा-पत्र मेरे हाथ में दे दिया।

हमारे पूछने पर सिन्हा साहब ने अपना दिन-भर का कार्य-विवरण सुनाया। पर से चल कर वह सरकार के एक लैंग्वे प्रधिकारी के यहाँ पहुँचे जो बिहारी-सिन्हा थे और घिया-सोफिस्ट भी। वहाँ से उन्होंने चीफ़ कमिश्नर के यहाँ टेलीफ़ोन करके मिलने का समय माँगा। समय मिल गया। चीफ़ कमिश्नर के यहाँ पहुँच कर सिन्हा साहब ने उसे बताया कि कांग्रेसों की ओर उनके मित्रों की युद्ध में जो जीत हुई है, उसके उपलक्ष में हम 'विजय' नाम का पत्र निबाल रहे हैं। मिनेड एनी बेसेन्ट और मिस्टर अरंडेल आदि के परिचय का निर्देश करते हुए चीफ़ कमिश्नर को विश्वास दिना दिया कि पत्र राजनस्य होगा। फिर क्या था, घंटे-भर में सारा ज़ाप्ता पूरा कर दिया गया और पाँच बजे दफ़्तर बन्द होने से पहले 'डिक्लरेशन' की स्वीकृति तारिणी प्रसाद जी को मिल गई। दोपहर को चाय उन्होंने चीफ़ कमिश्नर के यहाँ और शाम को ए. डी. एम. के यहाँ पी। मुझे तो मानो मुँह माँगी मुराद मिली। मैं गटपट

के कामों में बहुत ही अनाड़ी हूँ। मेरे लिए जो सबसे बड़ी बाधा थी, वह सिन्हा साहब की सहायता से पूरी हो गई।

दूसरा प्रश्न यह उठा कि पत्र को प्रकाशित करने के लिए प्रेस कहाँ से आए। दिल्ली के एक पुराने सार्वजनिक गुजराती कार्यकर्ता मि. के. ए. देसाई नए बाजार में ही रहते थे। उनके पास एक छोटा-सा प्रेस था। प्रेस में एक 'हेण्ड-प्रेस' था और एक छोटी-सी ट्रेडल थी। डेढ़ दो फार्म कम्पोज करने लायक टाइप भी था। प्रेस को चलाने के लिए कुछ धन की आवश्यकता थी। उसकी एक हितैषी सभ्रांत महानुभाव से प्राप्ति हो गई। तब हमने विजय कम्पनी लिमिटेड का आयोजन कर लिया। कम्पनी के प्रारम्भिक डाइरेक्टर तीन थे—श्रीगुप्त देसाई, श्री सिन्हा और मैं।

तीन-चार सप्ताह के उद्योग से प्रेस और पत्र की योजना पूरी हो जाने पर 'विजय' के प्रकाशन की तिथि निश्चित की गई। अन्तिम परन्तु सबसे महत्वपूर्ण समस्या समाचार प्राप्त करने की थी। उन दिनों दिल्ली में 'एगोशिएटेड प्रेस' के मैनेजिंग डाइरेक्टर मि. राय थे। मैं उनसे मिला। राय महोदय बयोवृद्ध थे और मीठे स्वभाव के कारण लोकप्रिय थे। मैंने उनसे मिल कर यह निवेदन किया कि आप बहुत थोड़े रूपों में 'विजय' के लिए ए. पी. भाई. की सशिप्त से संशिप्त 'गविस' देना स्वीकार करें; उन्होंने उस समय मेरे कानों पर धपकी देते हुए जो शब्द बहे वह मैं सँकड़ों बार दोहरा चुका हूँ और कई स्थानों पर लिग भी चुका हूँ। आपने अंग्रेजी में जो कुछ कहा उसका अभिप्राय यह था—“जीवान, मैं तुम्हें मलाह देता हूँ

कि दिल्ली से छसवार मत निकालो। दिल्ली अखबारों के लिए बंजर भूमि है।" इस पर मैंने उत्तर दिया—“आप मुझे यह परीक्षण कर लेने दीजिए, शायद मेहनत से बंजर में भी पौदा पनप जाए।” तब राय महोदय ने गम्भीर होकर सलाह दी कि “यदि दैनिक पत्र निकालना ही है तो 'मविम' मत लो। 'पायनियर' सुबह आ जाता है। उसमें से समाचार लेकर सायंकाल तक पत्र निकाल दिया करो। अभी व्यर्थ में खर्च मत बटाओ।” यह सलाह मुझे पसन्द आ गई और 'पायनियर' के सहारे 'दैनिक विजय' का प्रकाशन आरम्भ कर दिया गया।

आरम्भ में 'विजय' के प्रबन्ध-विभागके अध्यक्ष और महा-यक और सब कुछ तारिणी प्रसाद जी थे। सम्पादकीय विभाग में एक में था और दूसरे गुरुकुल के स्नातक श्री देवराज जी, जो अब नहीं रहे। कुछ समय पीछे तो सम्पादकीय विभाग में कुछ अन्य महानुभाव भी आए, जिन में से पं० भीमसेन जी वित्तमंकार और पं० मंगलदेव जी के नाम स्मरण हैं। पत्र का प्रचार बढ़ने पर स्नातक बलभद्र और उनके बड़े भाई स्नातक चन्द्रबेनु जी भी प्रबन्ध-विभाग की अध्यक्षता करते रहे। तब तक गिन्हा साह्य अपने संसानी स्वभाव के अनुसार विनायत जा चुके थे। जहाँ वह 'मानचेस्टर गार्डियन' के सम्पादकीय विभाग में काम करने लगे थे।

१९१६ के आरम्भ में दिल्ली में हिन्दी के दैनिक पत्र के लिए बँगा शोष था; इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि पहले एक ही ५०० प्रतिदाँ छोपी गई थीं जिनमें से दिल्ली में बेचल ७० दिनीं। उनके सम्बन्ध में भी बचने

यालों की यह रिपोर्ट थी कि अधिक संख्या कन्या पाठशालाओं में पढ़ने वाली कन्याओं ने खरीदी। बाबू लोग अंग्रेजी अखबार पढ़ते थे और हिन्दू दुकानदार उर्दू अखबार। अंग्रेजी अखबारों में से 'पायनियर' और 'लीडर' का अधिक प्रचार था और उर्दू अखबारों में शायद लखनऊ का कोई पत्र बड़ी संख्या में विकता था। दिल्ली के 'वंजर भूमि' होने का सबसे बड़ा प्रमाण यह था कि उर्दू या हिन्दी में कोई स्थानीय पत्र नहीं निकलता था। अंग्रेजी में एक गोरामाही दैनिक पत्र प्रकाशित होता था, जिसमें बड़ी सफ़ाई से 'पायनियर' के बहुत से समाचार काट कर दे दिए जाते थे, विशेषता इतनी ही थी कि 'पायनियर' एक आने में विकता था और वह पत्र दो पैसे में। उन दिनों छोटे और देसी भाषा के अखबारों का दो पैसे मूल्य रखने का ही रिवाज था।

केवल ७० कापियाँ विकने पर कुछ हितैषियों को बड़ी चिन्ता हुई। निराश व्यक्तियों में से एक सिन्हा साहय भी थे। पत्र निकलने के थोड़े ही दिनों पदचात् वह दिल्ली से चले गए थे। पत्र निकालने का श्रेय प्राप्त करना ही उन्होंने पर्याप्त समझा।

कुछ समय तक 'विजय' की गति बहुत मन्द रही। दिल्ली के आस-पास यू. पी. और राजपूताने के कुछ नगरों में एजेंसियाँ स्थापित हो गई थीं, जिनमें सब मिला कर चार-पाँच सौ पत्र चले जाते थे। मित्र लोग तो मुझे नित्य ही समझाते थे कि यह काम चलने वाला नहीं है परन्तु मैं अपने भाष्य पर दटा हुआ था, तो भी मुझे यह स्वीकार कर लेना चाहिए

किं मेरे आशावाद की कुछ कलियाँ मुझने लग गई थीं कि भवितव्यता ने बीच में पड़ कर सारी परिस्थिति को ही बदल दिया, दिल्ली की वनस्यली में भी हरियाली लहलहाने लगी क्योंकि मार्च के अन्त में महात्मा गाँधी का 'राल्ट विलों' के विरोध में खड़ा किया हुआ सत्याग्रह आन्दोलन बरसाती बादलों की तरह उमड़-धुमड़ कर दिल्ली पर छा गया और शीघ्र ही वह भारत के सम्पूर्ण अन्तरिक्ष में व्याप्त हो गया, परन्तु उसके प्रथम दर्शन दिल्ली में ही हुए। राज्य-क्रान्ति के उम उत्थान ने 'विजय' के लिए संजीवनी वूटी का काम दिया।

महात्मा जी ने मार्च में सत्याग्रह की घोषणा की। दिल्ली में जो सत्याग्रह-समिति स्थापित हुई, उसके दो मंत्री थे—एक डा० अन्दुल रहमान और दूसरा मैं। सत्याग्रह की उक्त घोषणा ने देश-भर में एकदम क्रान्ति का वातावरण उत्पन्न कर दिया था। देशवासियों के हृदयों में एक नई चेतना, अग्नि की ज्वाला के समान फैल गई थी। जब महात्मा जी ने सत्याग्रह-संग्राम के पहले पग के तौर पर एक दिन की हड़ताल और उपवास का आदेश दिया तो यह सचमुच आश्चर्य-जनक बात हुई कि बीसियों साम्राज्यों के सण्डहरों से दब कर निश्चेष्ट पड़ी हुई दिल्ली-नगरी सबसे पहले उठ कर एड़ी हो गई। मुग की मोह-निद्रा में सोए हुए दिल्ली के निवासियों ने देश-भर से पहले महात्मा जी के आदेश का पालन किया और ३० मार्च को हड़ताल कर दी। अन्य स्थानों पर वह जीवन-दायी मातमी दिन ६ अत्रैव को मनाया गया। ३० मार्च को दिल्ली में जो बूझ हुआ, वह भारत की अहिंसात्मक राज्द-

क्रान्ति का आदिपर्व है। उस दिन वह सभी कुछ हुआ जो राज्य-क्रान्ति में होना चाहिए। जनता का उरसाह चरम सीमा तक पहुँच गया था, हड़ताल हुई, नरनारियों ने उपवास किया, भीड़ इकट्ठी हुई, पुलिस ने गोली चलाई, दिल्ली के चाँदनीचोक में निरपराध देशवासियों के रक्त की धारा वह निकली और उस धारा ने कम-से-कम कुछ समय के लिए हिन्दू मुसलमानों के भेदभाव को मिटा कर एकता का बालावरण पैदा कर दिया। वह सक्षिप्त वृत्तान्त मैंने यह समझाने के लिए लिखा है कि 'विजय' के और मेरे जीवन में एकदम सर्वांगीण परिवर्तन कैसे आ गया। मेरी युवावस्था थी, फ्रांस और इटली की राज्य-क्रान्तियों की हवा दिमाग में भरी हुई थी। उस पर सत्याग्रह की घोषणा चिनगारी की तरह पड़ी। यह तो कैसे कहें कि क्रान्ति के ऋभावात्त ने मेरे संतुलन को बिगाड़ दिया। हाँ, इतना भवश्य कहूँगा कि मैं सत्याग्रह-समिति का मन्त्री बनते ही तन्मय हो गया और मेरे साथ ही 'विजय' अस्तान्ति का अग्रदूत बन गया।

उस समय पत्र के सम्पादन से सम्बन्ध रखने वाले अधिकतर कार्य में स्वयं ही करता था। बाहर में घूम घूम कर सामान्य इकट्ठे करता था, उन्हें लिखता था, उन पर सम्पादकीय टिप्पणियाँ भक्ति करता था और आन्दोलन सम्बन्धी घोषणाएँ भी हिन्दों में स्वयं ही तैयार करता था। फलतः 'विजय' मार्च के अन्त में सत्याग्रह के आन्दोलन का मुख्य प्रचारक गमना जाने लगा।

भव तो सारा दृश्य ही बदल गया। दिल्ली से उर्दू या

हिन्दी में और कोई दैनिक पत्र प्रकाशित नहीं होता था। अंग्रेजी के गोरामाही पत्र को मरवार का पिट्टू समझा जाता था। नगर में उसके पढ़ने वाले भी कुछ दर्जन ही होंगे। ३० मार्च के प्रातःकाल यह हानत थी कि सारे शहर में 'विजय' की पुकार हो रही थी। हमारे पास एक हेड-प्रेस था, खरीदार हजारों थे। सुबह से पत्र छपना शुरू होता था, शाम तक छपता रहता था तो भी शहर की माँग पूरी नहीं होती थी। उत्तर-प्रदेश के आगरा, वरेली आदि और राजपूताने के अजमेर, जयपुर, जोधपुर आदि शहरों के एजेंट तार पर तार भेज रहे थे कि कापियाँ बढ़ायो। परन्तु यहाँ स्थानीय माँग को पूरा करना ही असम्भव हो रहा था। कुछ दिन तक तो यह हालत रही कि दफ्तर के नीचे नदक पर सैंवलों की भीड़ लगी रहती थी। जहाँ दम पनें छपे कि नोकर को देकर नीचे भेज दिया जाता था। पढ़ने वालों में हिन्दू भी थे और मुसलमान भी। जो हिन्दी पढ़ना नहीं जानते थे, वे पर्चा खरीद कर दूमरो से पढ़वा लेते थे। 'विजय' का पर्चा दुकानदारों से लेकर ठेकेदारों और भली बाली तक के हाथों में दिखाई देता था।

जिन नगरों तथा ग्रामों में 'विजय' का प्रचार हो रहा था, उनकी राजनीतिक जागृति में पत्र का प्रमुख हाथ था। उस समय के 'विजय' के पाठक जानते हैं कि उन स्थानों में प्रारम्भिक राजनीतिक जागृति की धारा बहाने का ध्येय 'विजय' को ही था, जो दिनों में बहती हुई नदी से जल लेकर आग-शान के स्थानों की राजनीतिक दृष्टि में बंजर पड़ी हुई भूमियों को उपजाऊ बना रहा था।

को बुला कर प्रेस की जब्ती आदि की धमकियाँ दी गईं। सेंसर के कारण दैनिक पत्र का निकालना बेकार सा हो रहा था। प्रत्येक समाचार ४८ घंटे पिछड़ जाता था। इन परिस्थितियों से बाधित होकर निश्चय करना पड़ा कि दैनिक 'विजय' बन्द कर दिया जाए और साप्ताहिक रूप में निकलता रहे। होनहार पत्रकार श्री सत्यदेव विद्यालकार ने कई सप्ताह तक साप्ताहिक 'विजय' को चलाने का प्रयत्न किया। परन्तु परिस्थितियाँ इतनी प्रतिकूल थीं कि साप्ताहिक भी बन्द करना पड़ा। इस प्रकार 'विजय' का यह दूसरा जीवन भी चिर-स्थायी न हुआ। इस परीक्षण से मैंने दो शिक्षाएँ ग्रहण की— प्रथम यह कि पर्याप्त साधनों के बिना दैनिक पत्र देर तक नहीं चलाया जा सकता। दूसरी यह कि यदि लेखनी को निर्भयता और स्वाधीनता से चलाना हो तो भी उसकी नोक को थोड़ा-सा घिस लेना आवश्यक है। यह तो भाशा न रखनी चाहिए कि घिसी हुई लेखनी से लिखे हुए लेखों को सरकार देर तक सहन करती जाएगी परन्तु इतना अवश्य है कि छोटी-सी सावधानता पत्रकार को कानूनी शिकंजे में फँसने से कुछ काल तक बचा सकती है।

पत्रकारिता के इस तीव्र परीक्षण को समाप्त करके मैं फिर अपने दूसरे लोक—शिक्षक-वृत्ति की ओर मुक गया और फिर गुरुकुल जाकर 'उपाध्याय' का कार्य करने लगा। मेरे नाम के साथ 'प्रोफेसर' को जो उपाधि सगी हुई है—यह उन्हीं वर्षों का अवरोध है।

साप्ताहिक 'सत्यवादी'

कुछ समय तक गुरुकुल कांगड़ी में उपाध्याय का कार्य करने के अनन्तर मेरे मन में, फिर से खुले सार्वजनिक जीवन की भूख उभर आई। ऐसा अनुभव होने लगा कि केवल पढ़ाने में जीवन व्यतीत करने से सफलता के बैंक का बँलेंस शून्य ही रहेगा। वह भाव शायद बहुत ऊँचे दर्जे का तो नहीं था, परन्तु था बहुत तीव्र। इस कारण मुझे वह अपने साथ राष्ट्रीय महासभा के महमदावाद के अधिवेशन में बहा ले गया। जहाँ से मैंने गुरुकुल के तत्कालीन अधिकारियों को अपना त्यागपत्र भेज दिया।

कांग्रेस का वह अधिवेशन अपनी शान का निरासा ही था। यह पहला अधिवेशन था जिसमें लगभग प्रत्येक कांग्रेसी सदस्य का पैप पहिन कर सम्मिलित हुआ। नगर में जिधर देखो मानो चांदो की चादर बिछी हुई थी। श्वेत टोपी, गुर्ता, घोर पोती पुरानों का, घोर श्वेत गाड़ी स्त्रियों का परिधान था। कांग्रेस के दिनों में महमदावाद स्वरंग में साक्षात् अहिंसा का नूनरूप-या दिखाई देता था। यही अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने स्वयं अपने तिर पर महात्मा के सर्वाधिकारी का

कटीला ताज रखा था। मैं अहमदाबाद से राष्ट्रीय मन्दोलन की उमंग से सराबोर होकर दिल्ली लौटा तो गुरुकुल न जा कर यहाँ जम गया, और उसी पुरानी पत्र-कारिता की धुन में वेचैन हो कर अक्सर को खोज करने लगा।

मैं इसी मानसिक अट्टाट्ट्या की दशा में था कि एक दिन भरतपुर के पं० जगन्नाथ अधिकारी ने मिलकर मेरे सम्मुख एक प्रस्ताव रखा। उन दिनों भरतपुर के दासक पर अंग्रेज सरकार का ग्रहण लगने की तैयारी थी। सरकार को यह सन्देह था कि महाराज अन्दर अन्दर से राष्ट्रीय कामों में सहायता देते रहते हैं। मामले की तहकीकात के लिए सरकार के कुछ अफसर भरतपुर में पहुँचे हुए थे। अधिकारी जी का नाम भी उन लोगों में था जिन पर यह आरोप था कि वे महाराज को सरकार विरोधी रास्ते पर ले जाते हैं। फलतः वे भरतपुर से दिल्ली आ गये, और इस चेष्टा में लग गये कि महाराज के पक्ष में प्रकाशन का कार्य करें। इस काम के लिए उन्हें कुछ आर्थिक सहायता भी मिली थी। उन्होंने तेलीवाड़े में एक अत्यन्त पुराना प्रेस खरीद लिया और 'अविष्य' नाम का हिन्दी दैनिक पत्र निकाल दिया। पत्र तो निकाल दिया, पर सम्पादन किस चिड़िया का नाम है, यह बोध न होने से बहुत बककर में पड़ गये। टाइप बहुत पुराना था, छपाई अच्छी नहीं आती थी, और ४ पृष्ठों के लेख प्रतिदिन पूरे नहीं होते थे। इस कारण दैनिक पत्र सप्ताह में प्रायः दो दिन प्रकाशित हो जाता था। जब अधिकारी जी का पाँच इस दलदल में फंसा हुआ था, तब उन्हें मानूम हुआ कि मैं दिल्ली में हूँ, और हूँ भी राती। पहले

उन्होंने अपने एक सन्देशहर को भेजा, जिनका नाम व्यंकटेश-
रमण था। वह सज्जन अपने ढंग के अनूठे ही थे। बातचीत में
बहुत प्रवीण, और व्यवहार में दुनियादार थे। वे प्रस्तावना वांछ
कर चले गये, और अगले दिन अधिकारी जी को साथ लेकर
आगये। अधिकारी जी दुबले पतले, परन्तु भव्यमूर्ति ब्राह्मण
थे। माथे पर सदा वैष्णवी टीका रखते थे, और बातचीत में
अत्यन्त विनम्र और मीठे थे। उन्होंने मेरे सामने यह प्रस्ताव
रखा कि मैं पत्र अपने हाथ में लेकर जैसा चाहूँ सम्पादित करूँ,
नीति पर मेरा पूरा अधिकार होगा। प्रबन्धकर्ता रमण महोदय
बनाये गये और अधिकारी जी ने अपने जिम्मे यह काम लिया
कि महाराज से पुष्कल आर्थिक सहायता प्राप्त करके प्रेस और
पत्र को उन्नति की परावाष्ठा तक पहुँचा देंगे। आर्थिक
व्यवस्था यह की गई कि जब पत्र में कुछ लाभ होने लगेगा,
तब उसे सब लोग बाँट लिया करगे। मेरी उस समय भी
आर्थिक दशा वैसी ही थी, जैसी १९१८ में गुरुबुन छोड़ने के
समय थी। ऐसी परिस्थिति नहीं थी कि मैं बिना कुछ आर्थिक
दृशिका प्राप्त किये देर तक दैनिक पत्र का सम्पादन कर
सकूँ। फिर आर्थिक विषयों में मेरी उपेक्षावृत्ति, व्यंकटेशरमण
की वाक्-चातुरी, और अधिकारी जी की सज्जनता, तीनों ने
मिन्नकर मुझ पर ऐसा जादू किया कि मैंने 'भविष्य' का प्रधान
सम्पादन बनना स्वीकार कर लिया, और अगले दिन से
'भविष्य' कार्यालय में जाने लगा।

कार्यालय में जा कर देगा तो डोल की पीठ के प्रतिरिक्त
कुछ दृष्टिगोचर न हुआ। वैसा वातावरण भी न था कि सम्पा-

दफ़ कहलाने की हबस ही पूरी हो जाती। हैंड प्रेस शायद सन् ५७ से पहले का था, टाइप मुशिकल से एक फार्म का और वह भी थिसा हुआ, जो सज्जन फोरमैन थे, वही मशीनमैन भी थे। याद नहीं कि मैंने कितने दिनों तक रेत में से तेल निकालने का यत्न किया। परन्तु अन्त में अधिकारी जी को मान लेना पड़ा कि इस समय भरतपुर नरेश की ऐसी दशा नहीं है कि विशेष आर्थिक सहायता दे सकें। इस कारण चट्टाई लपेट देना ही अच्छा है। सो एक दिन ब्राह्ममुहूर्त में चट्टाई लपेट कर अधिकारी जी शायद मथुरा की ओर विदा हो गये। मैं उससे दो तीन दिन पहले ही प्रधान सम्पादक की गद्दी छोड़ चुका था।

यदि आप पूछें कि मैंने इस 'भविष्य'—काण्ड से क्या सीखा तो मेरा उत्तर यह है कि माहसिक कार्य बड़ा हो या छोटा, उसे कभी दूसरे के बलबूते पर आरंभ न करो। अपने भरोसे पर, पार जाने के लिए गंगा में भी कूद पड़ो, परन्तु केवल दूसरे के सहारे का भरोसा रख कर घुटनों तक के पानी में भी पाँव न रखो। आगे बढ़ कर छलांग लगाने वालों को यह शिक्षा गाँठ बांध लेनी चाहिये।

साप्ताहिक 'सत्यवादी'

'भविष्य'-गाँठ के सम्पन्न होने पर मैं फिर खाली हो गया। उंगलियाँ लिखने को उतावली थीं, और चित्त अपने भावों को उगलना चाहता था, परन्तु साधनों का अभाव हो जाने से बेकार बैठ जाना पड़ा। उम लाचारी के शब्दांश में नाम उठाकर मैंने दो एक पुस्तकों लिखीं, परन्तु उमने शि

का बोझ हल्का न हुआ, तो अन्त में एक साप्ताहिक पत्र निकालने का मन्सूबा पक्का किया। दैवयोग से एक सहायक भी मिल गये। प्रसिद्ध दानवीर सेठ रघुनल लोहिया ने इस रूप में सहारा दे दिया कि अपनी दूकान पर हिसाब खुलवा दिया। आज्ञा दे दी कि एक वर्ष तक दूकान से आवश्यकतानुसार 'सत्यवादी' के निये परिमित राशि ली जा सकती है।

वस्तुतः 'सत्यवादी' का यह दूसरा दौर था। 'सत्यवादी' का पहला दौर बहुत पहले, शायद १९०८-९ में, पं० रत्नदत्त जी सन्नादकाचार्य के सन्नादकत्व में आरम्भ हुआ था। उस समय मद्रम प्रचारक प्रेस हरिद्वार में था। 'सत्यवादी' वहीं से निरालना आरम्भ हुआ, और वहीं समाप्त हो गया। जब मैंने दिल्ली से साप्ताहिक पत्र प्रकाशित करने का विचार किया तब वही पुराना नाम क्यों चुना, इसका यही कारण समझना चाहिये कि मुझमें व्यतीत काल की ओर देखने की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, अन्धया परिवार के बच्चों के रोहिताश्रव, जयन्त आदि तथा पत्रों के 'सत्यवादी' 'मजुन' आदि नाम न रखना। वस्तु, कारण कुछ ही हो, मैंने वही नाम रखा, और परिणाम भी लगभग वही हुआ। दिल्ली में 'सत्यवादी' का पहला अंक मन् १९२३ के जनवरी मास के प्रथम सप्ताह में प्रकाशित हुआ। उसके चार मास पश्चात् ही दैनिक 'मजुन' निकल आया, तब कुछ महीनों तक 'सत्यवादी' 'मजुन' के साप्ताहिक के रूप में निकलता रहा, उसके पश्चात् वह 'मजुन' में ही विनीत हो गया।

सरदार भगतसिंह

'सत्यवादी' के हमारे दौर का इतिहास सनसनीपूर्ण घटनाओं से सर्वथा शून्य रह जाता, यदि उसमें चुपचाप सरदार भगतसिंह का प्रवेश न हो जाता। मैं मायंकाल के समय पत्र के कार्यालय में बैठा हुआ था कि एक भव्य सिरा नौजवान जिसके दाढ़ी के बाल अभी केवल दीखने लगे थे, आया और अपना अर्जुनसिंह नाम बतलाकर उसने पत्र के सम्पादकीय विभाग में काम करने की इच्छा प्रकट की। नौजवान की आँखों में कुछ ऐसा आकर्षण था कि कुछ अधिक पूछताछ किये बिना मैंने उसे कार्य पर लगाने की स्वीकृति देते हुये पूछा कि क्या पहले किसी हिन्दी पत्र में काम भी किया है ? नौजवान ने उत्तर दिया कि "मैं कानपुर के 'प्रताप' में बहुत दिनों तक उपसम्पादक रहा हूँ।"

अर्जुनसिंह की हिन्दी तो बहुत अच्छी थी ही, उसके विचार और भी अधिक अच्छे और परिमार्जित थे। जब कभी हिन्दू मुस्लिम समस्या पर बात छिड़ती वह सदा साम्प्रदायिकता के विरुद्ध पक्ष लेता। अन्य सब विषयों पर भी उसके विचार उदार और निर्भीक होते थे।

मैं उस एक साधारण दीखने वाले असाधारण नौजवान से बहुत प्रभावित हुआ। उसकी कई असाधारण बातों में एक यह भी थी कि वह कभी अपने घर या परिवार के सम्बन्ध में चर्चा नहीं करता था। यदि कोई पूछताछ करता तो हँस कर टाल देता था। उसकी दूसरी विशेषता यह थी कि अन्य

सब चीजों में नियमित होता हुआ भी उपस्थितियों में बहुत अनियमित था। बिना पूर्व सूचना दिये एक दो दिन के लिये हुबली लगा जाना तो साधारण बात थी, कभी-कभी सप्ताह भर तक सापता रहता था। पहले तो उसका यह व्यवहार बुरा लगा, परन्तु कुछ दिनों के बाद सन्देहजनक और फिर रहस्यात्मक प्रतीत होने लगा। ऐसा भला आदमी किसी सामान्य कारण से बार-बार अनुपस्थित नहीं हो सकता यह विचार मन में आने लगा, और हल्की सी आशंका होने लगी कि हो न हो यह नौजवान शान्तिकारियों से सम्बन्ध रखता है।

एक बार उमने लगभग सप्ताह भर का गोता लगाया। जब आया तो कुछ जल्दी में था। कहा कि घर से खबर आई है, पिताजी बहुत बीमार हैं, एक दिन के लिये जा रहा हूँ, न जाने कब वापिस आऊँ। लम्बी छुट्टी लेने और इतने दिनों तक सम्पादकीय विभाग में रखने के लिये धन्यवाद देने आया हूँ। दो तीन मिनट में यह विधि-विधान की बात करके अर्जुनसिंह ने सब से प्रेमपूर्वक विदाई ली और तांगे पर सवार हो गया और अपने पीछे हम लोगों के लिये यह समस्या छोड़ गया कि आखिर यह नौजवान था कौन? दो दिन के पश्चात् समस्या की गाँठ स्वयं खुल गई। एक सब इंस्पेक्टर आठ दस सिपाहियों को साथ लेकर हमारे कार्यालय में पहुँचा। उसके पास भगतसिंह के नाम का कारंट था। हमने उत्तर दिया कि हमारे यहाँ भगतसिंह नाम का कोई आदमी नहीं है। एक अर्जुनसिंह नाम का नौजवान काम करता था, जो पिता की

बीमारी के कारण छुट्टी लेकर घर चला गया है। पुलिस ने कई रजिस्ट्रों की छानबीन की, कई प्रश्नों के उत्तर लिखकर खानापूरो भी की, परन्तु यह देखकर कि चिट्ठिया उड़ चुकी है, अपना-सा मुँह लेकर वापस चली गई। वारंट देखने से मालूम हुआ कि गिरफ्तारी का वारंट काकोरी की डकैती के सम्बन्ध में था।

एक इस घटना को छोड़कर 'सत्यवादी' के लघु जीवन का कोई रोमांस याद नहीं।



दैनिक 'अर्जुन'

मेरे दुःसाहस का पहला दौर एक वर्ष से कम समय में ही समाप्त हो गया था । दौर तो समाप्त हो गया, परन्तु दुःसाहस का अन्त नहीं हुआ । हाँ, यह अवश्य हुआ कि दुःसाहस को दूसरी बार शक्ति संचय करने में ३ साल से अधिक समय लगे । 'सत्यवादी' १९२३ के अप्रैल मास में दैनिक 'अर्जुन' के रूप में प्रकाशित होने लगा । इस बार भी पत्र का कार्यालय अट्टानन्द बाजार में ही बना । 'अर्जुन' का पहला अंक २४ अप्रैल मन् २३ के दिन निकला ।

१९२१ का दुःसाहस १९२३ के दुःसाहस से भी बड़ा था । १९१९ में 'विजय पब्लिशिंग कम्पनी' नाम की एक कम्पनी बना कर और कुछ मूलधन इकट्ठा करके अपने प्रेम में पत्र छापना आरम्भ किया गया था । और १९२३ में न कुछ मूलधन था, और न कोई साधी । केवल दुःसाहस की पूंजी के सहारे पर दैनिक पत्र का प्रकाशन आरम्भ कर दिया । पत्र लिगा जाना था अट्टानन्द बाजार में और छपता था लगभग टाई मील की दूरी पर मद्रम प्रचारक प्रेम में, जो उन दिनों परेड के मंडान वाली सड़क पर था । उस समय पत्र अट्टानन्द में मेरे

एकमात्र सहायक अमृतसर के स्वर्गीय स्नातक देवराज जी थे । मेरे इस दुःसाहस को भी श्री स्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त था । पत्र निकाल तो दिया, परन्तु ऐसी असम्भव परिस्थितियों में वह चला कैसे ? इस प्रश्न का उत्तर यही है कि देव अपनी इच्छा को पूरा करने की सामग्री स्वयं उपस्थित कर देता है । एक महीने के अनुभव ने ही सिद्ध कर दिया था कि अपने प्रेस के बिना दैनिक पत्र देर तक नहीं चल सकता, पत्र का अपना प्रेस होना ही चाहिये । हरिद्वार में एक प्रेस भी मिल गया लेकिन उसे पैसों बिना खरीदा कैसे जाये ? जब तो बिल्कुल खाली थी । प्रेस वाला किस्ती पर दाम लेने को तैयार था । मेरे सामने प्रश्न यह था कि किस्ती की रकम भ्रष्टा करने का वायदा किस भरोसे पर करूं । उस समय भगवान ने माय दिया । सेठ जगलकिशोर बिड़ला दिल्ली आये तो स्वामी जी ने उनसे 'भर्जुन' की खर्चा की । सेठ जी ने प्रेस खरीदने के लिये मूल्य की राशि देना स्वीकार कर लिया । हरिद्वार से प्रेस दिल्ली आ गया ! सेठ जी की दी हुई राशि से उसका मूल्य चुका दिया गया और इस तरह 'भर्जुन' भर्जुन प्रेस में छपने लगा ।

इस प्रसंग को समाप्त करने से पूर्व इतना और लिख देना आवश्यक प्रतीत होता कि सेठ जी की दी हुई राशि मैंने श्री स्वामी जी द्वारा उस कोष में वापिस कर दी थी जिससे दलितोद्धार सभा, वृद्धि सभा आदि संस्थाओं को सहायता दी जाती थी । जब सेठ जी को स्वामी रामानन्द जी से यह मालूम हुआ कि मैंने खर्चा वापिस कर दिया, तो उन्होंने

आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा था कि वह राशि तो मैंने 'मजुन' को दी थी, उसे वापिस करने की क्या आवश्यकता थी ? पाठकों के मन में स्वभावतः यह प्रश्न उठ सकता है कि मैंने कुछ ही दिनों में यह कई हजार रुपये कैसे वापिस दे दिये ? इस प्रश्न का समाधान यह है कि मेरे ताया जी, पिता जी के बड़े भाई, के कोई संतान नहीं थी, वे गांव की जमीन और कोठी की वसीयत मेरे नाम कर गये थे । इस अवसर पर मैंने उसका सदुपयोग कर लिया । दोनों को बेच कर ऋण बेयाक कर दिया ।

इस प्रकार लगभग एक वर्ष के अन्दर मजुन अपने पांव पर चलने योग्य हो गया । इस बार पत्र का प्रचार होने के लिये कोई विशेष चमत्कार नहीं हुआ ! चमत्कार की आवश्यकता भी नहीं पड़ी । 'विजय' के विप्लवमय छोटे से जीवन ने जहाँ एक ओर दिल्ली के चारों ओर हिन्दी का मुन्दर क्षेत्र तैयार कर दिया था, वहाँ मेरे माय पाठकों का वह निज सा प्रेम सम्बन्ध भी स्थापित हो गया था, जो अनेक विघ्न-बाधाओं के आने पर भी निरन्तर बढ़ता ही गया और जिसे मैं 'मजुन' का सबसे बड़ा मूलधन समझता हूँ । फलतः 'मजुन' को प्रारम्भ से ही पढ़ने वाले भी मिल गये और महायक भी ।

'मजुन' के जीवन को मैं 'विजय' की भाँति तूफानी जीवन तो नहीं कह सकता, परन्तु उसे संप्रपंच्य जीवन तो कहना ही पड़ेगा । 'मजुन' जिन दिन निकला था, उम दिन उसे साधन-हीनता जैसे विषट शत्रु ने लड़ना पड़ रहा था । इन संप्रपंच्य जीवन में, हम श्री ओर मातृ के परस्पर मंगल में जिन

साथियों से मुझे सहायता मिलती रही है उनकी सूची बहुत लम्बी है। मुझे भय है कि बहुत प्रयत्नपूर्वक उस सूची को पूरा करें तो भी वह अधूरी ही रहेगी। साथी भाये और चले गये। कुछ अपनी परिस्थितियों से बाधित होकर चले गये और कुछ पत्रकार के जीवन से थक कर दूसरी दिशा की ओर मुड़ गये। पहले युग के साथियों में से सबसे पहला नाम पं० भीमसेन विद्यालंकार का है। वह 'अर्जुन' के पहले कानूनी सम्पादक बने। मैं पत्रकार, प्रिंटर और पब्लिशर था। मेरे लेख उस समय भी मेरे नाम के साथ ही प्रकाशित होते थे। पं० भीमसेन जी के लाहौर चले जाने पर जिन बन्धुओं की ओर से मुझे 'अर्जुन' चलाने में सहायता मिली उनमें से सबसे प्रमुख पं० रामगोपाल जी थे। वह १८, १९ वर्षों तक 'अर्जुन' के सम्पादन और प्रबन्ध के साथ इतनी पूरी तरह संबद्ध थे कि हिन्दी पत्रकार जगत में उनका और 'अर्जुन' का स्मरण एक साथ ही किया जाता था। दोनों वस्तुएं प्रायः अभिन्न समझी जाती थीं। 'अर्जुन' के और मेरे साथ उनके इतने गहरे संबंध रहे कि छोटी बच्ची ने उनका विशेष नाम ही 'साथी पापा जी' रखा हुआ था। जो बन्धु साथी बन कर अन्यत्र चले गये, उनकी संख्या काफी बढ़ी है। लहौद सरदार भगनसिंह ने मेरे साथ कुछ मास तक काम किया।

संपादकीय विभाग के सहायक

'अर्जुन' के उन सहायकों में से श्री वेदशत विद्यालंकार, श्री सेगराम बी० ए०, पं० बृष्णचन्द्र, विद्यालंकार, श्री

शिवकुमार जी, श्री मुकुट विहारी जी और जगन्नाथ जी, श्री भवनन्द विद्यालंकार, प० दीनदयालु शास्त्री, पं० विद्यानिधि जी सिद्धान्तालंकार, श्री, गणपतिचन्द्र केला, श्री रामगोविन्द मिश्र, श्री राजेश्वर विद्यालंकार, श्री युधिष्ठिर विद्यालंकार, स्वर्गीय श्री गोविन्दहयारण जी, श्री पं० दीनानाथ विद्यालंकार, श्री सत्यकाम विद्यालंकार, श्री अयन्त वाचस्पति, श्री रामेश्वर विद्यालंकार आदि प्रायः सभी भव पत्रकारिता के क्षेत्र में यश प्राप्त कर चुके हैं ।

प्रसिद्ध पत्रकार श्री सत्यदेव जी विद्यालंकार ने अपना पत्रकार जीवन साप्ताहिक 'विजय' से प्रारम्भ किया था । 'लोकमान्य' बम्बई और 'लोकमत' नागपुर के सम्पादक श्री नरेन्द्र विद्यावाचस्पति ने पत्रकार कला की दीक्षा 'मजुन' कार्यालय में प्राप्त की थी ।

प्रबन्ध विभाग के सहायक

'मजुन' के प्रबन्ध विभाग में जिन सज्जनों के कार्य की स्मृति मेरे मन पर विशेषरूप से अंकित है, उनमें से दो नाम प्रमुख हैं । पहला नाम 'मजुन' के बुनियादी गजांची मुन्शी ब्रजनारायण का है । मैं अरुणानन्द बाजार के एक मकान में बैठा 'मजुन' निगलने के मनमूढे बांध रहा था कि एक अंधेड़ सज्जन मुझ से मिलने आये । दुबले-पतले मुग्घिदाने टंग के आदमी थे । रोजगार की तलाश में शिल्ली आये थे । न कोई जान-बूझान थी और न कोई मिफारिशी पत्र, फिर भी न जाने क्यों, मैंने एतदम निश्चय कर लिया कि मुन्शी जी को

अर्जुन का खजांची बनाया जाय। चुनाव बिना किसी विशेष कारण के हृदय की गवाही पर ही कर लिया तो भी धोखा नहीं मिला। लगभग १३ वर्षों तक मुन्शी अजनायण अर्जुन के खजांची रहे। संसार में कोई चीज अप्राप्य नहीं, ऐसे खजांची भी लोगों को मिलते ही होंगे, परन्तु मैं अपने अनुभव से तो यही कह सकता हूँ कि विश्वासपात्रता की दृष्टि से मुन्शी जी के समकक्ष खजांची बिरले ही होंगे। अधिक योग्य हो सकते हैं, पर अधिक विश्वासपात्र नहीं।

‘अर्जुन’ के सम्बद्ध में दूसरा जो व्यक्ति मेरे मन में सुखद भावना को उत्पन्न करता है, वह अर्जुन प्रेस का मशीनमैन उस्ताद काशीराम है। उस्ताद काशीराम का चरित्र तो पृथक चित्रण चाहता है उसे मैंने अलग चित्रित किया। उससे मान्य होगा ऐसे व्यक्ति केवल गल्पलेखकों के दिमाग की उपज ही नहीं होते, वह संसार की वास्तविक विभूतियाँ हैं।

‘अर्जुन’ के पहले दश वर्ष व्यतीत होने पर ‘अर्जुन’ की दशाब्दी मनायी गयी। इस अवसर पर ‘अर्जुन’ और उसके कार्यकर्ताओं को धारावाहिक देने के लिए विश्व-कवि-मशहूर डॉ० रवीन्द्रनाथ ने पधारने कृपा की थी। ‘सैनिक’ के सम्पादक प० श्री कृष्णदत्त पालीवाल तथा अन्य अनेक महानुभावों ने उस उत्सव में भाग लिया था।

‘अर्जुन’ से ‘वीर अर्जुन’

‘वीर अर्जुन’ का इतिहास ‘विजय’ से शुरू होता है। जेमे

'विजय' कुछ समय पश्चात् 'धर्जुन' के रूप में प्रकट हुआ, उसी प्रकार 'धर्जुन' का भी नया नामकरण करना पड़ा। इन दोनों परिवर्तनों में कारण एक ही था। 'धर्जुन' के इतिहास से परिचित व्यक्ति जानते हैं कि प्रारम्भ से लेकर अन्त तक इस पत्र का भारत की नौकरशाही सरकार से संधर्ष निरन्तर जारी रहा। उस संधर्ष का कुछ थोड़ा-मा वृत्तान्त इसी लेख में घागे चल कर मुनाऊगा। यहां केवल इतना निर्देश करना चाहता हूँ कि दोनों वार नाम परिवर्तन सरकार के पत्रों को कुछ टीला करने के लिए ही किया गया था। 'विजय' से दिल्ली की सरकार कितनी दट थी, इसका परिचय इस वार्ता से मिल सकता है कि भारत के होम मंत्री ने श्री स्वामी श्रदानन्द जी के राजनैतिक कार्य के विरुद्ध जो सरकारी शिकायत की थी, उसमें एक यह आरोप भी शामिल था कि उनका सड़का दिल्ली से एक क्रान्तिकारी ध्वजार निकाल रहा है। जब फिर से दैनिक पत्र प्रकाशित करने का निश्चय किया गया, तब यह विचार उठा कि यदि उसे 'विजय' नाम से निकाला जायेगा, तो सरकार बहुत नारी जमानत मांगेगी। इस कारण ऐसा नाम चुना गया जो साहित्यिक दृष्टि से 'विजय' का नानान्तर समझा जा सके।

प्रारम्भिक समस्या तो इस प्रकार हल हो गयी, परन्तु भविष्यता की कौन रोक सकता है? कुछ ही वर्षों में 'धर्जुन' की सरकारी फाइल 'विजय' में भी बुरी बन गई। इस बार जमानत का धरातल बहुत ऊंचा हो गया था। दस हजार तक की जमानत मांगी जा चुकी थी। पांच हजार की सरकार के खजाने में जमा थी, जजियों का सिलगिला जारी हो गया था। पहली

दो हजार की किस्त जप्त हो चुकी थी। उस समय पुराना हिसाब बन्द करके सरकार से नया हिसाब जारी करने के लिए 'भर्जुन' के नाम के साथ 'वीर' यह विशेषण जोड़ा गया। यह जमानत वापिस लेने की एक युक्ति निकाली गयी थी, जो देव-योग से चल गई। नया द्विकलरेशन बिना जमानत के मिल गया। तब स्थानीय सरकार को सूचना दी गई कि 'भर्जुन' का प्रकाशन बन्द कर दिया गया है। जमानत वापिस कर दी जाये। इस पर स्थानीय सरकार बहुत भुल्लाई, उसे धनुभव हुआ कि वह मात खा गई। बातें कानूनी थीं इस कारण इच्छा के विरुद्ध सरकार को जमानत वापिस करनी पड़ी।

सरकार का प्रकोप

यह तो मैं पहले ही समझ गया था कि 'भर्जुन' का नाम काली सूची में लिखा जा चुका है, परन्तु पत्र की फाइल इतनी मोटी और ऐसी कड़वी हो गई है, यह मुझे १९३३ में अकस्मात् भालूम हुआ, जब मैंने अपनी ओर 'भर्जुन' की पूरी सरकारी फाइल पर दृष्टि डाली। मैं उस सरकारी फाइल को कैसे देख सका, इसकी भी एक कहानी है, जो पूरी नहीं सुनाई जा सकती। सरकारी फाइल को देखना बड़ी जबरदस्त तिकड़म का काम है और तिकड़म की कला में मैं दिव्युस कोरा हूँ। इस विषय में मेरे परिचित लोग मुझे सदा ही सीप देते हैं। ऐसे तिकड़म बिहीन व्यक्ति को एक गुप्त फाइल देखने का मौका मिल गया, यह भगवान् की ही कृपा थी। एक महान् तिकड़मी राजन ने मदद की और सचवाई मेरे सामने आ गई। फाइल इतनी गहराव थी कि मैं उसकी कल्पना भी नहीं

कर सकता था। उससे नौ-दस वर्ष पूर्व के समय में, शायद ही कोई ऐसा ऊंचा पुलिम अफसर दिल्ली में रहा हो, जिसने जाते हुए फाइन पर इस आगम का नोट न छोड़ा हो कि प्रो० इन्द्र और उसका प्रवचार दोनों बहुत खतरनाक हैं। इनका उपाय होना चाहिये। तदनुसार उपाय निरन्तर जारी रहे।

उन उपायों की शृंगला काफी लम्बी है। प्रारम्भ के दो वर्षों तक तो पत्र को अपने चाल से चलने दिया गया, परन्तु १८२५ में सरकार की ओर से बाधाएं पड़ने लगीं। उस विद्युत्-घातकारण में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। इससे यह अनुमान लगाया जाने लगा था कि शायद दिल्ली की सरकार अब पत्रों के सम्बन्ध में उदार नीति से काम लेने लगी है कि एक दिन अकस्मात् दूसरा पहलू मेरे सामने आ गया।

एक अंग्रेज सीनियर मुररिन्टेन्डेन्ट पुलिस ने अपने दफ्तर में दिल्ली के सब सम्पादकों की बातचीत के लिये बुलाया। दिल्ली में अपने लगभग २५ वर्ष के सम्बन्ध पत्रकार जीवन में वह एक ही अवसर था, जब उत्सुकतावश मैं किसी अफसर की बुलाई हुई सभा में गया जहाँ उसके स्थान पर जाकर मिला। सीनियर साहब ने पत्रकारों के सामने समाचार पत्रों के वर्तमानों के सम्बन्ध में गौरागाही उद्गम में एक लम्बा चौड़ा लेक्चर मचाया, और अन्त में कहा कि अगर आप लोग कुछ पढ़ना चाहें तो पढ़ें। अन्य सब तो चुपचाप बैठे रहे, पर मैं ऐसी सभाओं का सम्बन्ध न होने के कारण कुछ पढ़ बैठा। सीनियर साहब उसमें बहुत विचलित हो गये। आपने सभा समाप्त करने हुए अन्य सबको विदा कर दिया परन्तु मुझे रुक जाने का आदेश

दिया। जब मैं अकेला रह गया, तब आपने सी० आई० डी० की एक फाइल मगवा कर लाल लाल भाँपों से मेरी ओर देरते हुए कहा—“आप सवाल करते हैं? आपकी फाइल बहुत खराब है। सरकार आप पर मुकदमा चला सकती है।”

मेरे लिये यह भाषा बिल्कुल नई थी। उस भाषा में ‘बुली’ की तेज बू झा रही थी। मेरे अन्दर उसकी जो प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई, वह भी बहुत तेज थी, परन्तु मैंने उसे पूरी तरह दबाते हुए यथासंभव शान्त भाव से कहा, “क्या आप बतला सकते हैं कि ‘अजुन’ मे कौन-सी भूठी खबर निकली है?” इसका उत्तर सीनियर साहब ने यह दिया कि सच भूठ का सवाल नहीं, सरकार सनसनीवाली खबरें नहीं चाहती। इसका जो उत्तर मैंने दिया, उसका आशय यह था कि पत्र सम्पादक का काम ठीक खबरें प्रकाशित करना है। इसमें वह किसी का दबाव नहीं मानता। मैंने यह भी कहा कि मासूम होता है कि आपको कभी किसी पत्रकार से वास्ता नहीं पड़ा अन्यथा आप इस प्रकार की अशिष्टतामयी धमकी न देते।

मेरे इस कथन से सीनियर साहब का पारा बहुत ऊंचा चला गया। उनका शरीर क्रोध से कांपने लगा। मैं उनकी इग दशा को एक निरोक्षक की दृष्टि से शान्त भाव से देख रहा था और उनकी ओर से घसले कदम की प्रतीक्षा कर रहा था कि इतने में सी० आई० डी० के अनुभवो डी० एस० पी० दोस इकरामुलहक साहब दफतर में तेजी से घाये और साहब के क्रोध पर ठंडा पानी डालते हुए मुझे यह समझाया कि साहब का कोई बुरा मतलब नहीं है और साहब को यह गुभाया कि प्रो०

साहब का भी कोई बुरा मतलब नहीं है। इस प्रकार वह मुलाकात तो बगैर किसी दुर्घटना के शान्त हो गई परन्तु चीनियर साहब ने फाइल में एक बहुत जोरदार नोट लिखकर दिल्ली के हाकिमों की भावी सन्ततियों को 'मजुन' का दिमाग सीधा करते रहने की वसीयत कर दी। मुझ पर उस मुलाकात का यह अमर हुआ कि मैं उस दिन के पदवात् सरकार द्वारा बुलाई गई पत्रकारों की किसी सभा में सम्मिलित नहीं हुआ।

इस मुलाकात के पदवात् सी० आई० डी० के दफ्तर में 'मजुन' के विरुद्ध मामले गढ़ने का कारखाना सा खुल गया। निजी तौर पर मुझे कई चेतावनियाँ दी गईं। मेरे मित्रों ने मुझे मुझाया कि डिप्टी कमिश्नर से मिल कर मामले को रफा दफा करा दो, पर मेरी अन्तरात्मा ने इसे स्वीकार नहीं किया। एक बार मेरे तीन अत्यन्त हितैषी मित्रों ने मुझसे बिना पूछे ही डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात का समय नियत कर लिया और मेरे पास आकर सूचना दी। जब मैंने इन्कार किया, तो मेरे बुजुर्ग मित्र मुझे अपने साथ बुदबिद्या बाग तक ले गये। डिप्टी कमिश्नर का बंगला उस बाग के पास ही था। मुझे उन मित्रों ने लगभग घण्टा भर बाग में घुमा कर समझाया, परन्तु एक अंग्रेज अफसर के बंगले पर हाजिरी देने की बात के विरुद्ध मेरी अन्तरात्मा का विद्रोह शान्त नहीं हुआ। इसी सत्ताह-मसबरे में मुलाकात का समय समाप्त हो गया और मेरे मित्र मुझे घर पर छोड़ कर दुःखित हृदयों से चले गये।

इसके पदवात् पत्र के विरुद्ध दमन का दौर दौरा त्रिधि-पुंक्त आरम्भ हो गया।

आन्दोलन की विशालता और तीव्रता को देख कर सरकार घबरा गई। महात्मा जी की दांडी यात्रा ने तो सरकार के पांव ही उखाड़ दिये। घबरा कर उसने बेहताशा चारों ओर पांव मारने शुरू किये। वह अखबारों पर भी सूब बरसी। दिल्ली की सरकार ने 'हिन्दुस्तान टाइम्स', 'भ्रजुंन' 'तेज' आदि राष्ट्रीय पत्रों से दस-दस हजार की जमानतें माग ली। पत्रों ने जमानतें न देकर प्रतिवाद के रूप में प्रकाशन बन्द कर दिया। मई से अगस्त तक दिल्ली के समाचार जगत् में पूर्ण अघकार-सा रहा। जनता की समाचार-पिपासा घण्टा-घर पर चिपकाये हुए बुलेटिनों से पूरी की जाती थी। अगस्त में सरकार का दिमाग कुछ ठण्डा हुआ। जमानत की मात्रा घटा दी गई। चार हजार रुपये की जमानत जमा कर छः अगस्त से 'भ्रजुंन' फिर प्रकाशित होने लगा।

जमानतों का तांता

जमानतों का यह सिलसिला किसी न किसी रूप में चलता ही रहा। कहावत मशहूर है—'सिसियानी बिल्ली सम्रा नोचे'—नौकरशाही सरकार पर जब कभी राजनैतिक हलचल के रूप में कोई नई मुसीबत आती थी तब यह सिसियानी होकर अखबारों को नोचने लगती थी। १९३२ में फिर सत्याग्रह का बिगुल बजाया गया। इस प्रसंग में दिल्ली के घण्टाघर के चौक में सरकारी आजा की अवहेलना करके कांग्रेस का यूहूद अघि-वेशन किया गया। सरकार ने इसका गुस्ता अपनी आदत के अनुसार अखबारों पर निकला। 'भ्रजुंन' से भी दो हजार की जमानत ली गई।

१९३५ में बक्वेटे में नूकम्प हृमा, उसके सम्बन्ध में देग में तरह तरह की चर्चाएँ उठीं, जिनसे सरकार विशुद्ध हो गई। पं० अमरनाथ विद्यालंकार के कुछ लेख 'धनुंन' में भी प्रकाशित हुए थे, उसमें अमननुष्ट होकर सरकार ने पाच हजार की जमानत माग ली जो दी गई।

बुद्ध समय पीछे सरकारी कोप का पारा बुद्ध और ऊपर चला गया। जिसके कारण पाच हजार में से दो हजार जब्द कर लिये गये।

१९४२ में देग में फिर राज्यप्राप्ति की ज्वाला भडक उठी। सरकार उनमें बाँप गई और अपने स्वभाव के अनुसार अग्य-धारों पर बरग पड़ी। संस्मरणप की रस्मी तो गले में डाली ही गई, 'धनुंन' से पन्द्रह-पन्द्रह सौ की दो जमानतें नुगे में मांगी गईं। इनमें से एक जमानत साप्ताहिक 'वीर धनुंन' से मांगी गई थी और दूसरी धनुंन प्रेस से।



भूने थे। फिर मैंने वह दिन भी देखे जब उन्होंने मोटर भेज मुझे अपने यहाँ बुलाया और यह प्रस्ताव रखा कि मैं 'अर्जुन' को उनके कारोबार का हिस्सा बना दूँ। जब उसमें सफलता न हुई तो मैंने उन्हें कमर कस कर पत्रकारिता के बाजार में दूकानदार बनते भी देख लिया। ३० वर्षों के उस अनुभव को विस्तार से एक लेख में लिखना सम्भव नहीं। अतः मैं कुछेक स्वानुभूत दृष्टान्तों से उस क्रान्तिकारी परिवर्तन के कारणों पर प्रकाश डालूँगा।

'अर्जुन' न पूंजी के विरुद्ध रहा और न पूंजीपतियों के विरुद्ध था। जिन प्रेमियों और भक्तों पर 'अर्जुन' को उचित अभिमान था उनमें से अनेक बहुत बड़े पूंजीपति थे। यद्यपि उनसे 'अर्जुन' कभी भीख मांगने नहीं गया तो भी उनकी सद्भावना को वह अपनी बहुत बड़ी सम्पत्ति समझता रहा।

पूंजीपतियों से संघर्ष का दूसरा कारण यह हो सकता था कि 'अर्जुन' उन लोगो की निन्दा करके टुकमेल या टगी द्वारा पैसा केंठने का प्रयत्न करता। 'अर्जुन' के विरोधी भी स्वीकार करेंगे कि 'अर्जुन' ने कभी ऐसा नहीं किया। नायद यह कहना ठीक होगा कि 'अर्जुन' के संचालकों में ऐसा करने की प्रवृत्ति और अज्ञ हो नहीं थी।

तब प्रश्न होना है कि पूंजीपतियों ने 'अर्जुन' का संघर्ष हुआ ही क्यों? इस प्रश्न का उत्तर निम्नलिखित घटनाओं से मिलेगा। इन घटनाओं में मैंने जानबूझ कर व्यक्तियों के नाम छोड़ दिये हैं, क्योंकि प्रायः सभी गम्बद्ध व्यक्ति जीवित हैं।

पहली घटना

पहली घटना लगभग २३ वर्ष पुरानी है। उन दिनों फतेहपुरी का एक बहुत बड़ा होटल एक ऐसे मज्जन के हाथ में था, जो रेन्वे का भी ठेकेदार था। मेरे पास विश्वस्त नूत्र से समाचार पहुँचा कि वह होटल व्यभिचार का बहुत बड़ा घड़ा बना हुआ है। मैंने निजी तौर पर होटल के मालिक को चेनावनी बेजी परन्तु उसका कुछ फल नहीं हुआ। तब मैंने पत्रकार की हैमियत में अपना यही वर्तव्य समझा कि होटल के मालिक को समाचार पत्र द्वारा चेनावनी दी जाय। अपनी रिपोर्ट और उस पर दी गई मर्यादवीय टिप्पणी को पढ़ कर होटल के मालिक निनमिला गये। उन्होंने मुझे कहला कर भेजा कि तुम्हारा जबाब तुम्हारे ही तरीके पर दिया जायगा और कुछ ही दिनों में एक उर्दू के दैनिक पत्र की प्रादुर्भाव हो गया। उस पत्र का यह उद्देश्य घोषित किया गया कि मनातन धर्म की रक्षा की जायगी और दिल्ली में धार्मिकमाज के बटते हुए अक्षर को रोसा जायगा। पत्र के आक्रमणों का मुख्य लक्ष्य 'धर्जुन' और उसके मनातनों को बोगना था। ऐसे शुभ सूरत्य से निजाला गया पत्र बहुत दिनों तक कैसे चल सक्ता था ? उसे केवल इतनी मरकता हुई कि दो एक धर्ममान्दाओं में कुछ सज्जनों को झट्टा करके मनातन धर्म के नाम पर 'धर्जुन' के बहिष्कार के प्रस्ताव घोषित कराये गये। जब मालिक गार्ह ने देखा कि ऐसा करने में 'धर्जुन' की प्रादुर्भाव घटने की जगह बटने लगी, तो ६-१० हजार रकमा फुंक कर पत्र बन्द कर दिया। कुछ वर्षों के पश्चात् वह होटल दूसरे हाथों बिक गया और रेन्वे

के स्टालों का ठेका भी बदल गया । यह एक पूंजीपति से 'अर्जुन' की पहली टक्कर थी ।

दूसरी घटना

अब दूसरी टक्कर का वृत्तान्त सुनिये । एक स्थानीय मिल के कुछ मजदूर अपनी शिकायतें लेकर 'अर्जुन' के दफ्तर में आये । दफ्तर में उस समय एक सहायक संपादक बैठे थे । चिट्ठी की भाषा कुछ सख्त थी । परन्तु शिकायतें साधारण सीधी सादी भाषा में लिखी गई थीं । सहायक संपादक ने वह शिकायती चिट्ठी पत्र में दे दी । दूसरे दिन जब प्रातःकाल 'अर्जुन' का पर्चा मिल के सेक्रेटरी के सामने पहुँचा तो वे बहुत रुष्ट हुए । सूँ तो सेक्रेटरी बहुत सज्जन और असाधारण रूप से उदार व्यक्ति थे । इस घटना को पीछे और शायद इसी घटना के कारण उनके साथ मेरे सम्बन्ध बहुत अच्छे और गहरे हो गये । दुःख है कि वह अब सत्तार में नहीं हैं । उस समय वह दिल्ली में नये थे, मेरे स्वभाव से अपरिचित थे । शायद इसी कारण निम्नलिखित घटना घटित हुई । सेक्रेटरी की ओर से मुझे टेलीफोन पर बुला कर कहा गया कि 'अर्जुन' में मजदूरों की ओर से जो चिट्ठी छपी है, वह सर्वथा मिथ्या है । मिल के मजदूरों की ऐसी कोई शिकायत नहीं है । साथ ही यह भी कहा गया कि 'अर्जुन' में प्रकाशित पत्र में मिल के स्वामी पर भी आरोप किया गया है, यद्यपि आपसे उनके सम्बन्ध अच्छे हैं । मैंने उत्तर दिया कि समय है सेक्रेटरी साहब का पहना टोक हो, सेक्रेटरी साहब अपना यत्न्य तिर कर भेज दें, यह स्पष्ट दिया जायगा । मिल के स्वामी से अपने सम्बन्ध के बारे में मैंने उत्तर दिया कि मेरा

उनका सम्बन्ध सार्वजनिक है। यह मेरी प्रेरणा पर कभी-कभी सार्वजनिक कामों में सहायता दे देते हैं। नविष्य में ऐसा करें या नहीं यह उनके सोचने की बात है, मेरे सोचने की नहीं।

नगमग घटे भर के परामर्श के पश्चान् सेक्रेटरी ने फिर टेलीफोन करवाया। मुझे से कहा गया कि आपनो स्वयं उस चिट्ठी का प्रतिवाद करना होगा अन्यथा परिणाम अच्छा न होगा। मैंने उत्तर दिया कि अगर मुझे यह बता दिया जाये कि क्या परिणाम हो सकता है, तो मैं विचार कर निश्चय करूँगा कि क्या किया जाये।

मित्र के दफ्तर में फिर कुछ देर तक परामर्श चलता रहा। इन समय रात के ९ बजे चुके थे। टेलीफोन की घंटी बजी। मैंने जान लगाये तो सेक्रेटरी सहाय का निम्नलिखित आदेश सुनाई दिया, 'यदि आप उस चिट्ठी का प्रतिवाद स्वयं नहीं करेंगे तो 'मजुँन' पर मिल मालिक की ओर से ५० हजार रुपये का मानहानि का दावा किया जायगा।' 'जरा टहरिये मैं अभी उत्तर देना हूँ।' यह कहकर मैंने टेलीफोन रख दिया और एक समाचार लिखा। उसका शीर्षक था 'सेठ की ओर से 'मजुँन' पर मानहानि का दावा।'।

इस शीर्षक के नीचे सेक्रेटरी से अपनी बातचीत का पूरा विवरण देकर मैंने फिर टेलीफोन उठाया और सेक्रेटरी साहब को यह समाचार सुना कर पूछा कि क्या मैंने, परस्पर बात-चीत की टोक रिपोर्ट दी है? मैंने यह समाचार वन प्रातःकाल के 'मजुँन' में प्रकाशित कर रहा हूँ।

अब तो सेक्रेटरी साहब बहुत चकराये। वे अनुमत करने

लगे कि मेरे साथ मामला सुलझाने में शायद कुछ भूल हो गई है। मिल के एक अधिकारी को उसी समय 'अर्जुन' का कटिंग देकर दिल्ली के उस समय के सबसे बड़े वकील के पास भेजा गया। वह बेला रोड पर रहते थे। जब मिल का भादमी उनके पास पहुँचा तो वह सो चुके थे। उन्हें उठा कर सम्मति ली गई तो उन्होंने उत्तर दिया कि मामला नहीं चल सकता। यदि चल भी गया तो 'अर्जुन' की अपेक्षा मिल को अधिक हानि पहुँचैगी। फलतः रात के ११ बजे मुझ सेक्रेटरी ने स्वयं फोन पर बुला कर कुछ हँस कर कहा 'दामा कीजिये', पंडितजी आपको बहुत कष्ट दिया, आप तो अपने भादमी हैं। मैं बल स्वयं उस चिट्ठी का प्रतिवाद भेज दूंगा, आप छाप दीजिएगा।'।

अगले दिन वह सज्जन स्वयं ही मेरे पास आये। प्रलोभन होता है कि उनका नाम लिख दूँ क्योंकि मैंने उन्हें बहुत ही भले, उदार और तमभदार व्यक्ति पाया। परन्तु जब और सब नाम नहीं दिये गये तो उन्हीं का नाम देना उचित नहीं मालूम देता।

कुछ दिन पीछे मिल के मैनेजर ने मुझे बतलाया कि रात को सलाह लेने के अपराध में वशील साहब ने मिल पर ६० ६० का जुर्माना फीस के रूप में किया।

यह मामला तो गूँ समाप्त हुआ, परन्तु उमका नुदूरवर्ती परिणाम यह हुआ कि कुछ ही महीनों में दिल्ली में एक माघन-गम्भ्र प्रभावशाली हिन्दी दैनिक पत्र का प्रादुर्भाव हो गया। यह पत्र उमो मिन के स्वामियों से संबद्ध था। मैं निश्चय से नहीं यह मरणा कि मिन के स्वामियों की ऊपर तिरती हुई

घटना पूरी तरह मानूम भी थी या नहीं। परन्तु उस घटना और हिन्दी पत्र के प्रकाशन का समय एक दूसरे के इतना समीप था कि उनमें सम्बन्ध होना असम्भव नहीं।

यहाँ यह स्वीकार करने में मुझे कुछ भी संकोच नहीं कि इस नये पत्र की प्रतिद्वन्द्विता ने 'धर्जुन' के रास्ते में असाधारण कठिनाइयाँ पैदा कर दी थीं। उन दिनों हिन्दी दैनिकों की एक प्रति का मूल्य दो पैसा था। 'धर्जुन' दो पैसे में छः पृष्ठ देता था, नये पत्र ने आठ पृष्ठ देने शुरू किये। लाचार होकर 'धर्जुन' को भी आठ पृष्ठों का पत्र निकालना पड़ा। तब नये दैनिक ने पृष्ठ संख्या बढ़ा कर १० कर दी। उसकी पीठ पर करोड़ों की धनियाँ थीं, जीवन रक्षा के लिए 'धर्जुन' को भी पृष्ठ संख्या बढ़ा देनी पड़ी। इस गन्तारोट प्रतिस्पर्धा का फल यह हुआ कि 'धर्जुन' पर कागड़ी का ४० हजार रुपयों में अधिक ऋण हो गया। वह 'धर्जुन' के जीवन का अधिक से अधिक विषट्क समय था।

उस मुश्किल में ने 'धर्जुन' कैसे निरन्तरा? इस प्रश्न का पूरा उत्तर मैं नहीं दे सकता। 'धर्जुन' के प्रेमी यह जान कर नमुष्ट होंगे कि कागड़ी का वह ऋण पूरे मूँद के साथ दिव्युन बेबाक कर दिया गया। हम लोगों ने केवल धैर्य और परिश्रम से कार्य किया। दिव्युन को पार लगाने वाला भगवान ही था।

तौनरी घटना

इसी प्रसंग में ही और घटनाएँ भी घटाने योग्य हैं। दिव्युन को एत और बढ़ी निज में हृदयान हृद। अन्य गन्त-पारो की नाति उन हृदयान के गन्तार भी 'धर्जुन' में प्रका-

श्री श्रद्धानन्द पब्लिकेशन लि० की योजना

मैंने प्रारम्भ से ही 'अर्जुन', प्रेस तथा उससे सम्बन्ध रखने वाले पत्रों को अपनी सम्पत्ति नहीं समझा। वे मेरे लिये सार्वजनिक सेवा का साधन और अतएव सार्वजनिक वस्तु रहे। जब तक उनकी आर्थिक दशा नियंत्रित रही, मैंने उन्हें अपने पास रखा, परन्तु जब ग्राहक संख्या और विज्ञापनों की दृष्टि से वह अपने पाँव पर खड़ा हो गया, तब मैंने उनके संचालन के लिये श्री श्रद्धानन्द पब्लिकेशन्स लिमिटेड नाम की कम्पनी संगठित करके प्रेस, पत्र तथा अपनी पुस्तकों का स्टॉक सब कुछ उसे सौंप दिया। इस परिवर्तन का परिणाम बहुत अच्छा हुआ। प्रेस और पत्र दोनों की पर्याप्त उन्नति हुई, इतनी उन्नति हुई कि उसे देख बहुत से महानुभावों और पूंजीपतियों के मुँह में पानी आ गया। उस कम्पनी के प्रथम डायरेक्टर निम्नलिखित थे—

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| १. ला० सांवलदास लोहिया, | २. पं० रामगोपाल लोहिया, |
| ३. गोस्वामी गणेशदत्त जी, | ४. सा० बालकिशनदास, |
| ५. सेठ रामगोपाल गाड़ोदिया, | ६. श्री धर्मपाल विद्यालंकार, |
| ७. श्री मिट्टनलाल भागंव, | ८. इन्द्र विद्यावाचस्पति, |
| | मैनेजिंग डायरेक्टर। |

मुझे श्रुतशक्ता पूर्वक यह स्वीकार करते हुए होता है कि जबतक मेरा संबंध रहा, तब तक इन सब साधियों ने हर कार्य में सहयोग दिया और कभी स्वार्थमूलक रोंचातानी से काम नहीं लिया। डायरेक्टर बीच-बीच में बदलते भी रहे, परन्तु सबकी भावना सुन्दर सहयोग की रही।

स्वर्ण जयन्तो

मेरा यह राष्ट्रीय युग का पत्रकारिता का जीवन स्वर्ण-जयन्ती के उत्सव के साथ समाप्त समझना चाहिये । यह उत्सव १९४७ के जनवरी मास मे सम्पन्न हुआ । उस अवसर पर पत्र को जो बधाइयाँ और आशीर्वाद प्राप्त हुए उनमें से कुछ यहा दे रहा हूँ । ये अन्य बीसियों बधाइयों के उपलक्षण हैं ।

श्री डा० राजेन्द्रप्रसाद जी

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि श्री इन्द्र जी द्वारा संचालित 'वीर भ्रजुंन' का रजत जयन्ती अंक प्रकाशित हो रहा है । 'वीर भ्रजुंन' को सेवायें विदित हैं । मैं आशा करता हूँ कि हमकी उत्तरोत्तर उन्नति होती रहेगी ।

श्री मंथिलीशरण गुप्त

कृपा पत्र मिला । 'वीर भ्रजुंन' के लिये मेरी हार्दिक शुभ कामनायें स्वीकार कीजिए । मैं इन दिनों अस्वस्थ हूँ । नहीं तो इस अवसर पर कुछ और लिखता । प्रभु करे 'वीर भ्रजुंन' अपने बड़े छोटे सहयोगियों में यही प्यार और श्रद्धा प्राप्त करे, जो पाण्डवों के बीच भ्रजुंन को प्राप्त है ।

श्री राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन

'वीर भ्रजुंन' की रजतजयन्ती के अवसर पर उसे मेरी हार्दिक बधाई । पिछले पच्चीस वर्षों में दिल्ली के प्रभावशाली क्षेत्र में उसने, मेरे प्यारे भाई श्री इन्द्र जी की शक्ति पाकर निर्भीकता से देश की उपासना की है और हिन्दी का मान रखा है । यह हिन्दी भाषियों के प्रेम और सम्मान का अधिकारी है ।

यह चिरंजीवी हो और उसके करों में हिन्दी प्रेम का गाण्डीय सदा दृढ़ता से राष्ट्रीयता की रक्षा करे, इस शुभ ध्येय पर मेरी स्वाभाविक कामना है।

श्री घनश्यामदास बिड़ला

यह जानकर प्रसन्नता हुई कि 'धीर अर्जुन' अपने जीवन के २५ वर्ष पूरे कर नये वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं और मंगलमय भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जिन उद्देश्यों के लिए इसकी स्थापना स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज के द्वारा हुई थी, उन उद्देश्यों की पूर्ति में यह सफल मनोरथ हो। हम आपके रजतजयन्ती उत्सव की सफलता चाहते हैं।

श्री बलदेव सहाय जी

रजतजयन्ती के शुभ ध्येय पर 'धीर अर्जुन' पत्र की ओर उसके संस्थापक श्री इन्द्र जी को मैं अपनी शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ।

भारतवर्ष में अनेक समाचार पत्रों का जीवन बाल्य में ही समाप्त हो जाता है। ऐसी दशा में किसी समाचार पत्र के लिए २५ वर्ष की प्रौढ़ता प्राप्त करना ही बड़े गौरव की बात है, विशेषकर किसी दैनिक पत्र के लिये; जिसे कोई महत्त्व के समाचार हो अथवा न हों, प्रतिदिन अपना कर्षण मुमकिन करके जनता की सेवा में निरन्तर उपस्थित होना पड़ना है। मेरी ईश्वर में प्रार्थना है कि 'धीर अर्जुन' और अधिक धीरता के साथ राष्ट्र की सेवा सदा करता रहे।

इस अवसर पर मैं अपने सभी सहयोगियों से यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि हिन्दी भाषा का गौरव बनाये रखने के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि हिन्दी समाचार पत्र विशेषकर हिन्दी दैनिक अपने को इस प्रकार सर्वाङ्गपूर्ण बनायें, जिसमें हिन्दी-भाषा-भाषी पाठकों को अन्य भाषाओं के समाचार पत्रों की आवश्यकता न रह जाय और वे समाचार पत्र जगत् में अपना उचित स्थान प्राप्त करें ।



दैनिक 'नवराष्ट्र'

बम्बई से दैनिक 'नवराष्ट्र' का प्रकाशन भी लगभग वंसा हो साहसिक कार्य था, जैसा दिल्ली से 'भ्रजुंन' निकालने का। विचार ऐसे उत्पन्न हुआ कि मुझे 'भ्रजुंन' सम्बन्धी कार्य से १९३४ में बम्बई जाना पड़ा। वहाँ मेरी बम्बई के प्रसिद्ध व्यवसायी सेठ रणछोड़ दास भवान से भेंट हुई। वे एक गुजराती पत्र के स्वामी थे। उनका अपना प्रेस था। बातचीत के सिलसिले में बम्बई से हिन्दी पत्र निकालने की भी चर्चा हुई। उस समय तो केवल चर्चा ही रही, परन्तु जब १९३५ के नवम्बर में उन्होंने मुझे बम्बई से हिन्दी पत्र निकालने के विषय में बातचीत करने के लिए देवलाली बुलाया तब मेरे मन में भी नया साहसिक कार्य करने का उत्साह जागृत हो गया। मैंने बम्बई के अपने मित्रों से परामर्श करना प्रारम्भ किया। मुझे प्रोत्साहित करने वालों में स्वर्गीय सेठ दूर जो बल्लभ दाम मुख्य थे। राजा गोविन्द सात पिती से भी प्रोत्साहन मिला। यात्रा की तैयारी तो हो गई परन्तु दिल्ली के कार्यों से अवकाश पाते-पाते तीन वर्ष लग गये, और १९३८के अगस्त मास में मैं बम्बई से पत्र निकालने का संकल्प करके

दिल्ली से रवाना हुआ तो मेरे मुख्य सहायक सेठ रणछोड़दास को मृत्यु हो चुकी थी। तो भी परमात्मा पर भरोसा करके बम्बई जा पहुँचा, और पत्र निकालने के लिए हिन्दी समाचार पत्र लि० कम्पनी की योजना प्रारम्भ की।

कम्पनी बनाने के लिए सब से पहले कम्पनी के ऐसे डायरेक्टर तलाश करने पड़ते हैं, जिन पर जनता का विश्वास हो। यह सीमाग्य की बात थी कि हिन्दी समाचार पत्र लि० को ऐसे प्रतिष्ठित डायरेक्टर छोड़े से परिश्रम से ही मिल गए। प्रारम्भिक डायरेक्टरों में सेठ शूर जी वल्लभ दास, राजा गोविन्द सास पित्ती और सेठ गोविन्दराम सेक्सरिया जैसे प्रभावशाली महानुभाव थे। सेक्सरिया जी उन दिनों बम्बई के सट्टा बाजार के मूर्धन्य माने जाते थे। उनके इशारे पर बाजार चढ़ता और उतरता था। उन्होंने पत्र को हर प्रकार की सहायता देने का वचन दिया। इस प्रकार प्रोत्साहन पाने का सुपरिणाम यह हुआ कि लगभग दो मास में कम्पनी रजिस्टर्ड हो गई, २१ दिसम्बर को कम्पनी को कार्य प्रारम्भ करने की आज्ञा मिल गई और उसी दिन दैनिक 'नवराष्ट्र' का टिबने-रेशन स्वीकृत हो गया। मुझे एक धनुशूलता यह मिल गई कि उस समय बम्बई प्रान्त के गृहमन्त्री श्री के० एम० मुन्शी थे। कोई कठिनाई आती तो मैं उनके सामने रस देता था। वे बम्बई में एक हिन्दी दैनिक की आवश्यकता को बहुत समय से धनुभव कर रहे थे। १० जनवरी १९३६ के दिन 'नवराष्ट्र' का उद्घाटन समारोह हुआ। उद्घाटनकर्ता श्री मुन्शी जी थे, उपस्थित सज्जनों में श्री भूनाभाई देसाई, सेठ शूर जी

वल्लभ दास आदि महानुभाव प्रमुख थे । शुभ उद्घाटन के ५ दिन पीछे 'नवराष्ट्र' का पहला अंक निकल आया ।

मुझे इतने थोड़े समय में कार्य प्रारम्भ हो जाने की आशा नहीं थी । बम्बई का क्षेत्र वस्तुतः एक हिन्दी पत्र के लिए तैयार था । मैंने एक विचित्र बात यह देखी कि जहां गुजराती और मारवाड़ी सज्जन पत्र के संचालन के लिए सौत्साह मिले, वहां बम्बई के उत्तर भारतीय वर्ग ने या तो उपेक्षा का भाव प्रदर्शित किया, अथवा गुप्त विरोध किया । पीछे से मालूम हुआ कि वहां के कुछ उत्तर भारतीय पुराने नियामी स्वयं एक पत्र निकालना चाहते थे, पर साधनाभाव से निकालने में पिछड़ गये थे । यह विशेष स्मरणीय बात थी कि 'नवराष्ट्र' के पहले स्थायी ग्राहक एक महाराष्ट्रीय सज्जन थे । बम्बई में मुझे दूसरा अनुभव यह हुआ कि जो व्यक्ति वहां की परिस्थितियों का पूरा जानकार और भंजा हुआ व्यापारी न हो वह वहां के कारीगरों या श्रमिकों से काम नहीं ले सकता । वे संवर लोग ऐसे कुशल हैं कि एक सप्ताह में साधारण व्यक्ति का नातका बन्द कर सकते हैं । मैंने इस कठिनाई को इस प्रकार हल किया कि हरेक विभाग के फोरमैन अपने पुराने परिचित दिल्ली के कार्यकर्ताओं में से नियुक्त किए । यदि मैं ऐसा न करता तो शायद 'नवराष्ट्र' प्रेस एक मास तक भी न चल सकता ।

पत्र शुरू चला । एक ही वर्ष में उसके ५ हजार से ऊपर ग्राहक हो गये थे, और निरन्तर बढ़ रहे थे । विज्ञापन भी आने लगे थे जिससे आशा बंध गई कि अब 'नवराष्ट्र' पत्र चल निकलेगा ।

मेरा लक्ष इतना ही था कि बम्बई से एक श्रच्छा हिन्दी का दैनिक पत्र निकाला जाय, जिसकी आधारशिला इतनी दृढ़ हो कि वह चिरस्थायी रहे। जुलाई में हमें हिन्दी समाचार पत्र लि० के लिए डायरेक्टर रूप में एक नये स्तम्भ मिल गये। इन्दौर के प्रसिद्ध सेठ हीरालाल जी ने डायरेक्टर बनने के प्रतिरिक्त पत्र के चलाने में पूर्ण सहयोग देने का निश्चय प्रकट किया। इस प्रकार बम्बई जाने का मेरा उद्देश्य पूरा हो गया और मैं योरप का दूसरा महापुढ आरम्भ होने पर, दिल्ली वापिस आगया। हिन्दी समाचारपत्र लि० के मैनेजिंग डायरेक्टर बनना सेठ हीरालाल जी ने स्वीकार कर लिया।

★

कटुस्मृति

अब मैं अपने पत्रकारिता के औपचारिक अनुभवों के अन्तिम अध्याय पर आता हूँ। वह अध्याय इससे पूर्व के सब अध्यायों से अलग था, और सामयिक परिस्थितियों के लिहाज से बहुत शिक्षादायक था, वह अध्याय था—किसी पूंजीपति के समाचार पत्र में सम्पादन कार्य करने का।

पाठकों को आश्चर्य होगा कि जो व्यक्ति अपने ३० वर्षों के पत्रकार जीवन में पूंजीपतियों से टक्कर लेता रहा, वह ६२ वर्ष की आयु में इस जाल में कैसे फँस गया? इसकी भी एक कहानी है, जो संसार की गतिविधि को सूचित करने वाली है। प्रतीत होना है कि यह अन्तिम अध्याय मुझे संसार की गतिविधि की सूचना देने ही आया था। दोष उसका नहीं, जिसका काम ही चकमा देना है, दोष उसका है जो चकमों में भा जाए।

मैं जाल में कैसे फँसा, इसकी कहानी मुनिये :

मुझे चारपाई पर लेटे चार महीने बीत गये थे। चिकने फर्श पर पैर फिमल जाने से मेरी जांघ की हड्डी टूट गई थी, जिसने मुझे लगभग तीन मास तक दिल्ली के प्रसिद्ध जोशी हस्पताल में और एक मास तक घर पर लेटने के लिये बाधित

कर दिया। अभी मैं चारपाई से उठ कर अच्यौ तरह घूमने फिरने भी न पाया था कि एक दिन मेरे एक निकट सम्बन्धी महोदय का टेलीफोन आया। जैसे अब तक इस लेखमाला में मैंने सम्बद्ध जीवित व्यक्तियों के नामों को बचाया है, वैसे ही इस लेख में भी बचाऊंगा। प्रयोजन घटनाओं से है, नामों से नहीं। तो, एक दिन मेरे एक निकट सम्बन्धी महोदय ने टेलीफोन द्वारा मुझे सूचना दी : 'समाचार-पत्रों के एक प्रतिष्ठित स्वामी और संचालक एक नये हिन्दी पत्र के लिये प्रधान सम्पादक की तलाश में हैं। मैंने उन्हें आपका नाम सुझाया है, जिसे उन्होंने पसन्द भी कर लिया है।' सम्बन्धी महोदय ने मुझ से आग्रह पूर्वक कहा कि 'ये पत्र स्वामी बहुत सज्जन हैं, राष्ट्रीय विचारों के हैं, और बात के धनी हैं। आप अपने स्वभाव के अनुसार उनके प्रस्ताव को रद्द न कर दीजियेगा। मैं उन्हें लेकर आपके पास आऊंगा।'

अगले दिन वे अपने मित्र पूंजीपति महोदय को लेकर मेरे भवन पर आये। मैं सहारा लेकर चारपाई से उठा और बातचीत करने के लिये कुर्सी पर जा बैठा।

सगमग डेढ़ घण्टे तक बातें हुई। पत्र स्वामी ने अपना धर्मिप्राय यह बतलाया कि यह दिल्ली से अपने अंग्रेजी अखबार के साथ हिन्दी का गेगा दैनिक पत्र निकालना चाहते हैं, जो मार्क्सवाधारण का प्रिय बन जाए, और उसकी आहक संख्या न्यून से न्यून १० हजार तक पहुँच जाए। पत्र की नीति राष्ट्रीय और भाषा मार्ग होगी आदि। उन्होंने कहा कि मैं आपकी योग्यता और नीति से परिचित हूँ, इस कारण

हूँ कि आप इस आयोजन में मेरी सहायता करें। मेरा यह प्रयत्न हिन्दी जगत् के लिये लाभदायक होगा।

मैंने पत्रस्वामी के सम्मुख अपने विचार स्पष्ट शब्दों में रख दिये। मैंने जो कुछ कहा उसका सारांश यह था कि :

१—मैं ३० वर्ष से अधिक समय तक दैनिक पत्रकारिता का काम करता-करता ऊब चुका हूँ। अब दोष समय स्थिर साहित्य की सेवा में लगाना चाहता हूँ।

२—विशेष रूप से इस समय तो शारीरिक अस्वस्थता के कारण मेरी किसी बन्धन में बंधने की सर्वथा इच्छा नहीं है।

३—फिर भी यदि हिन्दी पत्रकारिता का हित समझ कर मैं आपको सहयोग देना चाहूँ तो उसकी कुछ शर्तें हैं। सब से पहली शर्त तो यह है कि मैं पत्र की सम्पादकीय नीति में सर्वथा स्वतंत्र रहूँगा। मैं उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहूँगा। जिस दिन मेरी नीति में हस्तक्षेप किया जायेगा, उसी दिन मैं पत्र से अपना संबन्ध विच्छेद कर लूँगा।

दूसरी शर्त यह कि मुझ पर पत्र-कार्यालय में समय का कोई बन्धन न होगा। संसद, मुद्रकुल तथा अन्य सार्वजनिक जिम्मेदारियों के कारण मैं कार्यालय में नहीं बैठ सकूँगा तो भी सम्पादकीय विभाग की पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी।

इन दो शर्तों के साथ मैं केवल दो वर्ष तक नया पत्र चलाने में सहायता दूँगा और मैं विद्वान् रखता हूँ कि यदि प्रेम और प्रबन्ध-विभाग ने पूरी सहायता दी तो दो वर्ष में पत्र की माहक संख्या ३० हजार तक पहुँच जाएगी।

पत्र स्वामी महोदय ने मेरी शर्तें मान ली और शब्दों द्वारा आभार प्रदर्शन करते हुए सूचना दी कि पत्र श्रृंखला के यूरो-पियन मैनेजर आपसे मिल कर सब व्यवस्था ठीक कर लेंगे ।

शोध ही यूरोपियन जनरल मैनेजर मुझ से मिले । घण्टा भर बात करने से मैं उनकी योग्यता, चतुरता और सज्जनता का क्रायल हो गया । थोड़े ही समय में मेरी इच्छानुसार दैनिक पत्र का सम्पादकमण्डल भर्ती हो गया और घूमघाम से पत्र चलने लगा । उस पत्र को लोगों ने कितना पसंद किया और पत्र स्वामी की आशाएँ कितनी पूरी हुईं, इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि एक वर्ष के अन्दर-अन्दर पत्र १५००० हजार से ऊपर छपने लगा और उसकी ख्याति उनी कार्यालय से निकलने वाले अंग्रेजी दैनिक से अधिक हो गई ।

इस प्रकार पत्र को तो सफलता मिली, परन्तु मेरे पैतृक और शिक्षा जनित संस्कारों के कारण एक अट्टचन बनी रही । इस वर्ष भर मैंने कभी पत्र स्वामी की कोठी पर पेशी न दी । कार्यालय के छोटे बड़े कर्मचारियों से आजा की जाती थी कि वे सैठ जी के दिल्ली आने पर उनकी कोठी पर हाजिरी देंगे, परन्तु मैंने उस नियम का पालन नहीं किया । मेरे कमरे का द्वार सभी के लिए खुला था । पत्र स्वामी, जनरल मैनेजर, सम्पादक और चपरासी सभी वहाँ आ सकते थे और बात कर सकते थे । मैं उसे पर्याप्त गमनता था, परन्तु व्यापारिक सौगाचार की दृष्टि में यह दोष समझा गया ।

बिस्मोट इस प्रकार हुआ । मैंने अपने सम्पादकीय लेख में बम्बई सरकार की एक आजा की बड़ी आलोचना की । पत्र-

स्वामी महोदय की उस भाषा से विशेष अनुकूलता थी। मेरा लेख पढ़कर उन्होंने अपने हेडक्वार्टर से दिल्ली के कारोबार के जनरल मैनेजर को फोन द्वारा भाषा दी कि वह मुझे उस सम्पादकीय लेख को वापस लेने के लिए कहें। उस बेचारे ने कुछ धवराते हुए स्वामी का संदेश मुझे टेलीफोन से ही कह दिया। मैंने उन्हें उत्तर दे दिया कि मैंने जो लेख लिखा है, वह ठीक समझ कर ही लिखा है, उसे वापस लेने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मैं पत्र की सम्पादकीय नीति का निर्णय करने में स्वतंत्र हूँ। उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहता।

जब मेरा उत्तर पत्र स्वामी महोदय तक पहुँचा तो वह तिलमिला गए। मुझे उनका पत्र मिला। जिसमें उन्होंने मुझ से अपना मतभेद सूचित करते हुए स्पष्टीकरण की मांग की। बात को जरा हल्का करने के लिये कुछ अप्रत्याशंगिक चीजें भी लिख दीं, परन्तु मुख्य बात नीति सम्बन्धी मतभेद की ही थी।

यह तो स्पष्ट था कि पत्र स्वामी का पत्र उन प्रतिशामों के सर्वथा विरुद्ध था, जो उन्होंने मुझ से पत्र संचालन में सहयोग मांगने के समय की थीं। मैंने समझ लिया कि व्यापार-चतुर स्वामी एक वर्ष में १५ हजार की ग्राहक संख्या से तो सन्तुष्ट हो गये हैं परन्तु शायद यह समझ कर मेरी इच्छा शक्ति को दबाने की चेष्टा कर रहे हैं कि मैं लगी हुई आजीविका को छोड़ना पसन्द नहीं करूँगा। उस समय मेरे सामने पूँजीपति पत्र स्वामी की मनोवृत्ति का विन्न अपने नाग रूप में था गया और मैंने सौटतो डाक में उन्हें सूचना दे दी कि 'क्योंकि आपने धातवागम के विरुद्ध मेरी सम्पादकीय नीति में हस्तक्षेप

करने का यत्न किया है, इस कारण मैं आज से पत्र का कार्य छोड़ रहा हूँ। मैं न पत्र के लिए कुछ लिखूंगा और न कार्यालय में जाऊंगा।'

मेरे इस निर्णय को सुन कर बेचारे मैनिजिंग डायरेक्टर साहब धबरा गये। उन्होंने मुझ से आग्रह किया कि चाहे मैं पत्र के लिये लिखना छोड़ दूँ पर अपना नाम कम से कम महीना भर पत्र पर छापने दूँ। अन्यथा पत्र की ग्राहक संख्या गिर जाएगी। उनकी परेशानी पर मुझे सचमुच दया आ गयी और मैंने उन्हें महीना भर अपना नाम पत्र सम्पादक के तौर पर छापने की अनुमति दे दी।

उसके पश्चात् पत्र का क्या हुआ? यह मेरे संस्मरणों का विषय नहीं है। मेरे उस एक वर्ष के संस्मरण तो पूंजीपति महोदय के उस अन्तिम पत्र के साथ समाप्त हो जाते हैं। शेष रह जाती है, एक कटुस्मृति, जिसने मेरे हृदय पर यह बात अंकित कर दी है कि जो पत्रकार विचारों की स्वाधीनता से प्रेम रखता है, उसे पूंजीपति के सत्संग से बचना ही चाहिये। पूंजीपतियों का पत्र संचालन कोरा व्यवसाय है, उसमें आदर्शवाद की गुंजाइश नहीं।

मैं यहां इतनी बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि पूंजीपति पत्र स्वामी एक ही ढाँचे पर बने हुए नहीं हैं। मोटे तौर पर उन्हें तीन श्रेणियों में बाँटा जा सकता है। कुछ पत्र-स्वामियों के लिए समाचार पत्र अर्थ प्राप्ति के मुख्यसाधन हैं। इस श्रेणी में वे पत्र स्वामी आते हैं जो समाचार पत्र व्यवसाय से ही पूंजीपति बने हैं। उनका दृष्टिकोण आर्थिक है। वे

स्वामी महोदय की उस आज्ञा से विशेष अनुकूलता थी। मेरा लेख पढ़कर उन्होंने अपने हेडक्वार्टर से दिल्ली के कारोबार के जनरल मैनेजर को फोन द्वारा आज्ञा दी कि वह मुझे उस सम्पादकीय लेख को वापस लेने के लिए कहें। उस बेचारे ने कुछ घबराते हुए स्वामी का संदेश मुझे टेलीफोन से ही कह दिया। मैंने उन्हें उत्तर दे दिया कि मैंने जो लेख लिखा है, वह ठीक समझ कर ही लिखा है, उसे वापस लेने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मैं पत्र की सम्पादकीय नीति का निर्णय करने में स्वतंत्र हूँ। उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहता।

जब मेरा उत्तर पत्र स्वामी महोदय तक पहुँचा तो वह तिलमिला गए। मुझे उनका पत्र मिला। जिसमें उन्होंने मुझ से अपना मतभेद सूचित करते हुए स्पष्टीकरण की मांग की। बात को जरा हल्का करने के लिये कुछ अप्रार्थगिक चीजें भी लिख दीं, परन्तु मुख्य बात नीति सम्यग्धी मतभेद की ही थी।

यह तो स्पष्ट था कि पत्र स्वामी का पत्र उन प्रतिज्ञाओं के सर्वथा विरुद्ध था, जो उन्होंने मुझ से पत्र संचालन में सहयोग मांगने के समय की थीं। मैंने समझ लिया कि व्यापार-चतुर स्वामी एक वर्ष में १५ हजार की ग्राहक संख्या से तो सन्तुष्ट हो गये हैं परन्तु शायद यह समझ कर मेरी इच्छा शक्ति को दबाने की चेष्टा कर रहे हैं कि मैं लगी हुई प्राजीयिका को छोड़ना पसन्द नहीं करूँगा। उस समय मेरे सामने पूंजीपति पत्र स्वामी की मनोवृत्ति का चित्र अपने नग्न रूप में धा गया और मैंने सौटती ढाक में उन्हें मूचना दे दी कि 'क्योंकि आपने आदवागन के विरुद्ध मेरी सम्पादकीय नीति में हस्तक्षेप

करने का दल किया है, इतत काररा मैं भाव से पत्र का कार्य छोड़ रहा हूँ । मैं न पत्र के लिए कुछ लिखूंगा और न कार्यालय में जाऊंगा ।'

मेरे इस निर्णय को सुन कर बेचारे मैनिजिंग डायरेक्टर साहब घबरा गये । उन्होंने मुझ से आग्रह किया कि चाहे मैं पत्र के लिये लिखना छोड़ दूँ पर अपना नाम कम से कम महीना भर पत्र पर छपने दूँ । अन्यथा पत्र की ग्राहक संख्या गिर जाएगी । उनकी परेशानी पर मुझे सचमुच दया आ गयी और मैंने उन्हें महीना भर अपना नाम पत्र सम्पादक के तौर पर छापने की अनुमति दे दी ।

उसके पश्चात् पत्र का क्या हुआ ? यह मेरे संस्मरणों का विषय नहीं है । मेरे उस एक वर्ष के संस्मरण तो पूंजीपति महोदय के उस अन्तिम पत्र के साथ समाप्त हो जाते हैं । शेष रह जाती है, एक कटुस्मृति, जिसने मेरे हृदय पर यह बात प्रकृत कर दी है कि जो पत्रकार विचारों की स्वाधीनता से प्रेम रखता है, उसे पूंजीपति के सरसंग से बचना ही चाहिये । पूंजीपतियों का पत्र संचालन कोरा व्यवसाय है, उसमें आदर्शवाद की गुंजाइश नहीं ।

मैं यहां इतनी बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि पूंजीपति पत्र स्वामी एक ही ढांचे पर बने हुए नहीं हैं । मोटे तौर पर उन्हें तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है । कुछ पत्र-स्वामियों के लिए समाचार पत्र अर्थ प्राप्ति के मुख्यसाधन हैं । इस श्रेणी में वे पत्र स्वामी होते हैं जो समाचार पत्र से ही पूंजीपति बने हैं । उनका दृष्टिकोण आर्थिक है

समाचार पत्र को एक कारखाना समझते हैं और उसमें काम करने वाले पत्रकारों को मजदूर और मेट ।

दूसरी श्रेणी उन पत्र स्वामियों की है, जिनकी दृष्टि में समाचार पत्र उनकी व्यक्तिगत धारणाओं के पोषण का साधन है । कभी-कभी उनका अपना चित्र पत्र में छपता रहे, उनके हार्दिक विचारों का पोषण होता रहे और सम्पादक महोदय सप्ताह में दो बार दरबार में हाजिरी देते रहें और पत्र घाटा न दे, बस, उनके लिये इतना ही पर्याप्त है ।

तीसरी श्रेणी में उन पत्र स्वामियों की गणना करनी चाहिये, जिनकी आर्थिक स्थिति समाचार पत्रों पर आश्रित न हो कर व्यापार द्वारा सुरक्षित है और जो ऊँची शिक्षा-दीक्षा और भावनाओं के कारण चाटुकारिता से ऊपर उठे हुए हैं । उनके लिये पत्र व्यवसाय अन्य व्यवसायों का सहायक तो है ही, परन्तु मुख्य रूप से वे उसे अपनी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का साधन मानते हैं । ऐसे पत्र स्वामी पहिली दो श्रेणियों के पत्र स्वामियों से अधिक उदार हैं । उनकी सेवा में स्थिरता अधिक है, और कुछ निश्चित सीमाओं वाले दायरे के अन्दर थोड़ी बहुत सम्पादकीय स्वाधीनता भी है ।

ऐसा प्रतीत होता है कि काफी लम्बे समय के लिये भारत का पत्र व्यवसाय इन तीनों श्रेणियों के पूंजीपतियों के हाथों में चला गया है और जब तक देश की आर्थिक और राजनीतिक परिस्थिति में कोई बड़ी आन्ति न होगी, उन्हीं हाथों में रहेगा । वे दिन दूर चले गये, जब सम्पादक ही पत्र का विधाता हुआ करता था । तब हम पराधीन थे, हम भारत

स्वाधीनता के सपने देखा करते थे । अब हम स्वाधीन हो गये हैं, अतः वे सपने काफूर हो गये और संसार का असली रूप सामने आ गया ।

★

समाचार पत्र का प्रारम्भ काल

समाचार पत्र को तैयार करने में दो कार्य करने पड़ते हैं। पहिले समाचार का संग्रह किया जाता है, फिर उन्हें प्रकाशित किया जाता है।

समाचारों का संग्रह करने की प्रथा बहुत पुरानी है। महाभारत के समय महायुद्ध के दैनिक समाचार संजय घृतराष्ट्र को सुनाया करता था। संजय के पास पूरे समाचार प्राप्त करने का साधन अक्षय्य होगा। इतने विशाल युद्ध की सबरें इकट्ठी करने के लिए काफी विस्तृत संगठन होना चाहिए।

समाचारों के संग्रह का कार्य मुख्यतः शासन कार्य में सुविधा प्राप्त करने के लिए किया जाता था। यूनानी लेखकों ने चन्द्रगुप्त मौर्य के राज्य का वर्णन करते हुए लिखा है कि प्रत्येक शहर में एक ऐसा राजकीय विभाग बना हुआ था, जिनका कार्य मृत्यु और जन्म की गणनाएँ एकत्र करना था। उन्होंने यह भी लिखा है कि राज्य की ओर से मृत संग्रह करने वाले कर्मचारी नियुक्त किये जाते थे। अशोक के लेखों में भी उनकी चर्चा मिलती है। राजकाज के लिए समाचारों का संग्रह आवश्यक समझा जाता था, और इस कार्य के लिए विशेष रूप से युवाल व्यक्ति नियत किये जाते थे।

योरप में समाचारों के नियमित संग्रह को प्रया का आविष्कार जूलियस सीजर की प्रतिभा ने किया। उसने रोम की दैनिक घटनाओं के समाचारों का संकलन करने के लिए विशेष कर्मचारी नियुक्त किए, उस दैनिक संग्रह का नाम (Acta Dwrma) था। राज्य की भाषायें, महत्वपूर्ण मुकदमों का विवरण, ऋतु परिवर्तन, दगे फिसाद, भाग आदि तथा विशेष और मनोरंजक घटनाओं का लिखित विवरण शहर के मिश्र-मिश्र स्थानों पर चिपका दिया जाता था।

इसपर भारत में मुगल काल में प्रायः प्रत्येक दरबार के साथ भ्रमवार नवीस सम्बद्ध रहते थे, जिनकी रचनाओं का नाम भ्रमवारनामा था। भ्रमवारनामे में हर तरह की और विशेष रूप से राजनीतिक घटनाओं का संग्रह रहता था। भ्रमवार शब्द का जन्म वही से हुआ है। उस समय के भ्रमवारनामों और भ्रमवारों में इतना ही भेद है कि वह जनता के लिए नियत समयों पर प्रकाशित नहीं किए जाते थे। प्रसुत इच्छे पुस्तक रूप में प्रकाशित होते थे। उस समय के इतिहास के संकलन में उन भ्रमवारनामों से पर्याप्त सहायता मिलती है।

समाचार का संग्रह मुख्यतः दो उद्देश्यों से किया जाता है। एक तो जानने की स्वाभाविक इच्छा और ज्ञान बढ़ाने की निष्काम कामना की वृत्ति के लिए और दूसरे राजकाय में उपयोगी होने के कारण। दोनों ही कारण मनुष्य जाति में बहुत प्राचीन काल से विद्यमान रहे हैं, और इसलिए समाचारों का संग्रह और वितरण रूप में उनका संकलन होता रहा

है। प्राचीन इतिहास के निर्माण में ऐसे संकलन पर्याप्त उद्योगी सिद्ध हुए हैं। मराठाशाही का विस्तृत इतिहास लिखने में उस समय के बख्शरों से अत्यधिक सहायता मिली है। बख्शर उस समय की आवश्यक राजनीतिक घटनाओं के अप्रकाशित समाचार पत्र थे।

संगृहीत समाचारों के प्रकाशन की पद्धति का सब से पुराना दृष्टान्त जूलियस सीजर के समय का मिलता है जिसका उल्लेख मैंने ऊपर किया है। आवश्यक होने पर शासक लोग अपने लिए उपयोगी समाचारों को घोषणाओं के रूप में प्रकाशित कर देते थे, परन्तु नियमित रूप से जनता के समाचार पत्रों का जन्म १५ वीं शताब्दी में हुमा समझना चाहिए। उस सदी में चिठियों के रूप में श्रीगसवर्ग, वायना, रैंटिस्वन, नूर-म्बर्ग आदि नगरों में गैरसरकारी समाचार पत्रों के प्रकाशित होने का विवरण मिलता है। योरोप में नव से प्रथम सरकारी समाचार पत्र १५५६ ई० में बेनिस शहर से प्रकाशित किया गया, जिसकी लिखित प्रतियाँ शहर के विदेश-विदेश स्थानों पर चिपका दी जाती थीं। उन्हें पढ़ने का प्रत्येक नागरिक को अधिकार नहीं था, जो पढ़ना चाहें उन्हें कुछ दाम देने पड़ते थे, जिसे गजटा कहते थे। पत्र के पर्यायवाची गजट शब्द की उत्पत्ति गजटा शब्द से ही हुई है।

बेनिम के इन हस्तलिखित समाचारों को जनता ने बहुत पसंद किया। उनकी माँग इतनी बढ़ी कि सरकार को उनके धामने का प्रबन्ध करना पड़ा। इस समय छपे हुए घोर दाम ने मिन्नने वाले समाचार पत्र का योरोप में जन्म हुमा। बेनिम

'मद्रमं प्रचारक'
के सम्पादक
शान्ता मुनीरामजी,
२० मई, मन् १८६४
का चित्र



शान्ताहिता 'विजय' के
प्रचारक, मन्थाम ग्रहण
करने से पूर्व महात्मा
मुनीरामजी



नाप्ताहिक 'विजय' के
सस्थापक श्री हरिश्चन्द्रजी
'आकाश में नवी' उडान
भरने वाले पक्षी की तरह
सन् १४ में विदेश गये और

देश की स्वाध्ता के लिए संघर्ष करने हुए अज्ञान
परिस्थितियों में ही निष्ठावर हो गये।



दैनिक 'नवराट्र' के
अन्यतम मन्त्रालय श्री गेठ
गोविन्दराम मेयनगिया



सेगक

‘वीर प्रज्ञा’ के मागादतीय विभाग में सेना



दिनांक

१० - २ - ६०

नाम

शुद्ध नाम

वर्ग सिला. कुल व एरवा के
भी दृष्टि काल लंबू से जोटाही
सोना. कुल वीरवा से छोड़ से

नाम काल ४१/२ बजे निरपेक्ष

सिलने से फुरीपाटे. अथवा

नाम. नाम से श्रुति काल

रु वीरवा

आपका

३०५

मेवत का हस्ताक्षर

का यह प्रारम्भिक समाचार पत्र नोटिजिक स्किट्टे कहलाता था ।

समाचार पत्र का विकास

उत्त प्रारम्भिक काल के समाचार पत्रों का एक दृष्टान्त लीजिये । १७वें शताब्दी के प्रारम्भ में लन्दन से एक असाधारण निकलता था । उसका नाम था 'दी वीक्ली न्यूज' (The Weekly News) उसके सम्पादक का नाम मि० बटर था । 'वीक्ली न्यूज' निश्चित दिनों में नहीं निकलता था । जब कोई विशेष घटना होती थी तब पर्चा तैयार करके छपा जाता और बाँटा जाता था । 'वीक्ली न्यूज' में समाचारों के साथ चित्र भी रहते थे ।

राज्य के साथ स्वतन्त्र समाचार पत्र का संघर्ष प्रारम्भ से ही जारी हो गया था । 'वीक्ली न्यूज' को प्रेम मेन्सर ने बहुत तग किया । मि० बटर ने बाफो धर्म से सरकारी प्रहारों का सामना किया । परन्तु अन्त में बलवान विरोधी के सामने उसे हार माननी पड़ी और १६६१ में 'वीक्ली न्यूज' बन्द हो गया ।

उस समय के समाचार पत्र की विशेषताओं का हम निम्न-निम्न रूप से परिगणन कर सकते हैं—

- १—उसमें सामरिक घटनाओं का उल्लेख होता था ।
- २—ऐसे समाचारों को भी स्थान दिया जाता था जिन्हें सरकार पसंद न करे ।
- ३—समाचारों की महापना के लिये सम्बद्ध चित्र भी दिये जाते थे ।
- ४—पत्र प्रायः दशकानुसार निजाना जाता था और संख्याओं की संख्या से प्रायः ही कभी बढ़ता हो ।

५—पत्र का आकार या पृष्ठ संख्या भी अनिश्चित थी । आवश्यकतानुसार उनमें परिवर्तन होता रहता था ।

६—मि० बटर का दफ्तर एक छोटें से कमरे में था, जहाँ सम्पादन, प्रबन्ध और वितरण आदि सब कार्य हो जाते थे ।

समाचार पत्र का यह रूप १७वें शताब्दी में था । यह २०वीं शताब्दी का मध्य है । लगभग इन तीन सौ वर्षों में, समाचार पत्रों में जो परिवर्तन आये हैं, यदि बीच की शृंखलाओं को छोड़ कर केवल उनके अन्तिम रूप को देखें तो हमें मानना पड़ेगा कि एक विशाल क्रान्ति हो गई है । हाँ, जब ३०० वर्षों के इतिहास को भी देखा जाय तो अन्य सब वस्तुओं की तरह समाचार पत्रों में भी निरन्तर विकास का क्रम दिखाई देता है ।

वर्तमान समाचार पत्र वर्तमान युग का सब से अधिक प्रभावशाली आविष्कार है । राज्यों की रक्षा का साधन सेना को माना जाता है, परन्तु समाचार पत्र का प्रभाव सेनाओं से कहीं अधिक हो गया है ।

वर्तमान समाचार पत्र का निर्माण, उसका प्रचार, और जनता तथा राज्य पर उसका प्रभाव यह सभी कुछ आश्चर्यजनक है । दो, चार या छः पैसे में खरीद कर प्रतिदिन पत्र पढ़ने वालों को यह कल्पना भी नहीं हो सकती कि जो चार या छः पैसे उनके हाथ में हैं, वह कितने विज्ञान और पेचीदा संगठन से तैयार किये गये हैं । समाचार पत्र गमाज पर जो अमर टाकते हैं, वह उसी विज्ञान और पेचीदा संगठन का परि-

राम है, जिन पर समाचार पत्र का तैयार होना आश्रित है।

वर्तमान समाचार पत्र ३०० वर्ष पूर्व के समाचार पत्र से कुछ मौलिक बातों में मिलता है। अनेक शान्तिकारी परिवर्तनों के हो जाने पर भी समाचार पत्र का मुख्य कार्य आज भी समाचार देना ही है। जनता तक अप्रिय सच्ची बात पहुंचाने से जैसा उम समय सरकार अप्रसन्न होती थी, आज भी होती है। दोष प्रायः सभी भंगों में बहुत परिवर्तन आ गया है। प्रभाव में आजकल का समाचार पत्र सरकार से बराबर की टक्कर लेता है। कानून की शक्ति सीधे तौर से हाथों में न होने से उसे कानून से सत्काल दवाना पड़ता है, परन्तु लोकमत द्वारा वह कानून को प्रभावित करने की भी शक्ति रखता है। इस कारण उसके प्रभाव को दीर्घ दृष्टि से देखें तो वह सरकार से कम नहीं।

ऊंचे दर्जे के पत्र का संचालन भी छोटी-मोटी रियासत से कम विस्तृत या पेनदार नहीं। सन् ३०० वर्षों में समाचार पत्र का विस्तार और प्रभाव अमनाः बढ़ता गया है। प्रत्येक देश की राजनीतिक संस्थाओं के विकास के साथ-साथ उसके पत्र समुदाय का भी विकास होना गया है।

इस शान्तिकारी विकास के मुख्यतः ५ कारण हुए :

- १—सर्वसाधारण में जिज्ञा की वृद्धि से पत्रों की मांग में वृद्धि।
- २—जनता के राजनीति और पानिक विचारों में उत्पन्न पुनः।

- ३—राजनीति का अन्तर्राष्ट्रीय रूप हो जाने से प्रत्येक देश में दूसरे देश के समाचारों को जानने की अभिलाषा का बढ़ जाना ।
- ४—विज्ञान और शिल्पकला की वृद्धि के कारण समाचार संग्रह और मुद्रणादि के साधनों में असाधारण उन्नति ।
- ५—गृध्वी, जल और आकाश में यातायात के साधनों में क्रान्तिकारी परिवर्तन हो जाने के कारण वितरण की सहूलियत हो जाना ।

इन ३०० वर्षों में बढ़ते-बढ़ते पत्र की ग्राहक संख्या लाखों तक पहुँच गई है । युद्ध की विशेष परिस्थितियों को छोड़ दें तो प्रायः सभी प्रमुख दैनिक पत्र एक दिन में कई-कई सफरए निकालते हैं । इतने बड़े मुद्रण और वितरण के लिये मुद्रण और वितरण करने की मशीनरी भी बहुत ही विशाल और सूक्ष्म हो गई है । समाचारों के संग्रह कार्य ने संसारव्यापी रूप धारण कर लिया है । पत्र के सम्पादन, मुद्रण और प्रकाशन का कार्य एक उन्नत और कठिन कला के रूप में परिणत हो गया है । जो लोग सफल पत्रकार बनना चाहें, उनके लिये आवश्यक हो गया है कि वह पत्रकार कला का गंभीर अनुशीलन करें । भय केवल अच्छा लिख सकना या अच्छा छाप सकना अच्छे समाचार पत्र के उत्पादन के लिये पर्याप्त नहीं है ।

समाचार पत्र के उपयोग

समाचार पत्र जनता के लिये मुख्यतः तीन प्रकार से उपयोगी होता है :

क—यह समाचार देता है,

ख—विचार देता है, और

ग—विज्ञापन प्रकाशित करता है ।

इस दृष्टि में समाचार, विचार और विज्ञापन, समाचार-पत्र के यह तीन प्रधान कार्य हैं ।

आइये हम इन तीनों का पूयक् पूयक् विवेचन करें ।

समाचार

हमने देखा है कि समाचार पत्र का जन्म जनता को समाचार देने के लिये हुआ । आज भी लोग उसे मुख्यतः समाचार जानने के लिये ही पढ़ते हैं । इस कारण हम यह कह सकते हैं कि समाचार पत्र का सर्वप्रधान कार्य समाचार देना है । इसी कारण सामयिक पत्र आदि अन्य अनेक नामों की उद्भावना हो जाने पर भी उसका 'समाचार पत्र' यह नाम ही सर्वथा उचित और सार्थक है ।

यह तो समाचार पत्रों के सभी पाठक आसानी से मान जायेंगे कि उनका मुख्य कार्य समाचार देना है, परन्तु यदि प्रत्येक पाठक के दृष्टिकोण को अलग-अलग देखने लें तो उनमें बहुत बड़ा भेद मिलेगा। आप दैनिक पत्र के १० पाठकों को चुन लीजिये और जब वह प्रातःकाल पत्र हाथ में ले लें तब उनकी गतिविधि को बारीकी से देखिये। आप देखेंगे कि किसी ने पत्र को पहिले पृष्ठ से पढ़ना आरम्भ किया तो किसी ने दूसरे से। किसी ने पहिले चौथे पृष्ठ पर दृष्टि डाली तो किसी ने तीसरे को खोल कर देखना आरम्भ किया। यह भेद क्यों हुआ ? आप पूछनाछ करेंगे तो आपको विदित होगा कि उनमें से एक पाठक को लड़ाई की खबरों का शौक है, तो दूसरे को मोने चांदी या रुई के भाव में उतार चढ़ाव को जानने की उत्सुकता है। तीसरा बम्बई में होने वाले क्रिकेट के मैच का नतीजा जानने के लिये उतावला बैठा है, तो चौथे को यह बिना है कि स्पानीय समाचारों में उसकी यह वयतता छपी या नहीं जो उसने कल शाम की सभा में दी थी। जो जिसके शौक को चीज है वह उसी को पत्र में तलाश करता है।

इस प्रकार भिन्न-भिन्न प्रवृत्तियां रहते हुए भी पत्रों के विविध पाठक एक बात में सहमत हो जायेंगे कि पत्र में बहुत सा रद्दी मामला भरा होता है। आप ऐसा बहने वाले हर एक पाठक को पत्र का एक पर्चा दे दीजिये और पहिले कि जिनमें आप रद्दी मामला समझते हैं उन पर नीना निगान लगा दीजिये, और फिर निगान सगे हुए पर्चों को एकत्र करके मिलान कीजिये, तब आप घनायास हों पढ़ेंगे। पत्र में बहुत-सा रद्दी

मामला है इनसे सभी लोग सहमत हो सकते हैं परन्तु वह रद्दी मामला वीन-सा है इस विषय में प्रायः सभी असहमत होंगे। एक पाठक ने जिस रचना को अत्यावश्यक समझा है, दूसरा उसे छोट कर रद्दी करार दे देता है, और दूसरे ने जिसे अत्यन्त आवश्यक समाचार समझा है, उसे तीसरा रद्दी की श्रेणी में रखता है। कारण स्पष्ट है भिन्नरुचिहि लोकाः। परिस्थिति, शिक्षा और रोजगार के भेद से लोगों की वृत्तियाँ भिन्न-भिन्न होती हैं। समाचार पत्र को सभी रुचियों के लोग पढ़ते हैं और उनमें अपनी रुचि के समाचारों को तलाश करते हैं। पत्रकार को पत्र तैयार करते समय सभी श्रेणियों की ओर दृष्टि रखनी पड़ती है—यही कारण है कि सामान्यतः समाचार पत्र में सभी प्रकार के समाचार देने पड़ते हैं। प्रत्येक पाठक अपनी रुचि के अनुसार समाचार पत्र को पढ़ता है, परन्तु पत्रकार सब पाठकों की रुचि का ध्यान रखते हुए पत्र तैयार करता है।

समाचार पत्र के इस रूप की देखो, तब हम यह अनुभव कर सकते हैं कि पत्रकार का कार्य कितना विस्तृत और कितना कठिन है। यदि यह अपने पत्र को यत्नतः समाचार पत्र बनाना चाहता है तो उसे सभी प्रकार के समाचार प्रकाशित करने चाहिए।

समाचारों को प्रकाशित करने से पूर्व उन्हें संग्रह करना पड़ना है। समाचारों का संग्रह और प्रकाशन—यह दो पृथक् पृथक् कार्य हैं। हम इन दोनों पर पृथक्-पृथक् विचार करेंगे।

३. समाचारों का संग्रह

पत्रों की प्रारम्भिक दशा में समाचारों के संग्रह का कार्य

बहुत सीधा था। जो समाचार सम्पादक के पास स्वयं पहुँच गए अथवा जिस समाचार को पत्र का सम्पादक जाकर ले आया, वह समाचार पत्र में प्रकाशित कर दिए जाते थे। पत्रों के विकास के साथ-साथ समाचारों का क्षेत्र बढ़ता गया। वह यहाँ तक बढ़ा है कि १—उसका विस्तार जहाँ तक भूमण्डल व्यापी हो गया है वहाँ तक, दूसरी ओर २—वह मनुष्य के व्यक्तिगत तथा सामूहिक जीवन के प्रत्येक अंग में व्याप्त हो गया। इस परिवर्तन के साथ-साथ और उसी के कारण समाचार संग्रह के साधन में और उपायों में भी परिवर्तन आ गया है। वर्तमान दैनिक समाचार पत्र में जो समाचार प्रकाशित होते हैं उनका बहुत थोड़ा हिस्सा—शायद बीस फीसदी हिस्सा ही—उसके अपने विशेष सम्वाददाता द्वारा संग्रहित होता है। शेष ८० फीसदी समाचार समाचार भेजने वाली एजेंसियों द्वारा इकट्ठे करके समाचार पत्रों को भेजे जाते हैं। यह एजेंसियाँ देश देशान्तर में अपने-अपने संवाददाताओं को रखती हैं और वैज्ञानिक साधनों से पूरा लाभ उठा कर शीघ्र से शीघ्र समाचार पत्रों तक उनके पहुँचाने का यत्न करती हैं।

एक साधनगम्पन्न वर्तमान समाचार पत्र कार्यालय में समाचार देने वाली एजेंसियों, पत्र के अपने संवाददाताओं, और लोगों के भेजे हुए समाचारों का इतना बड़ा ढेर प्रतिदिन सग जाता है कि यदि उन सब को छान कर प्रकाशित किया जाय तो समाचार पत्रों की पृष्ठ संख्या वर्तमान पृष्ठ संख्या से शायद बीसगुनी कर देनी पड़े। सब भी पूरे समाचार समा करने—यह करना कठिन है। पत्र के समाचार-सम्पादक का सब से

मुख्य कार्य समाचारों का संग्रह करना या लिखना नहीं, उन में से अपने योग्य समाचारों का चुनाव करना, अनावश्यक समाचारों को रद्दी में फेंकना, अत्यधिक विस्तृत समाचारों को संक्षिप्त करना—संक्षेप में कह सकते हैं कि समाचारों की काट-छांट करना है। जो समाचार-सम्पादक काट-छांट के कार्य में निपुण है वही निपुण सम्पादक कहलाता है।

एजेंसियों द्वारा एक से समाचार प्राप्त होने पर भी एक ही शहर से निकलने वाले समाचारों में जो भेद पाया जाता है, उसका मुख्य कारण यही काट-छांट है। हरेक पत्र का अपना अपना दृष्टिकोण होता है। कोई राजनीतिक समाचारों को अधिक महत्व देता है, तो किसी की दृष्टि व्यापारिक समाचारों पर होती है। नीति और दृष्टि के भेद से पत्रों के सब सम्पादक सप्ताह भर में प्राप्त हुए समाचारों की काट-छांट करते हैं। उम्मी से पत्रों में भिन्नता आ जाती है। समाचार पत्रों के कार्यालय में समाचार-सम्पादकों का सबसे मुख्य कार्य प्राप्त समाचारों में से अपनी नीति और रुचि के समाचार का चुनाव और अपने दृष्टिकोण से उनका प्रदर्शन ही है।

अपनी नीति और अपने पाठकों के दृष्टिकोण से समाचारों की काट-छांट कर देने पर भी प्रत्येक समाचार में उसके प्रत्येक पाठक की दृष्टि से कुछ न कुछ ममाना ऐसा रहता है जिसे वह पालनू ममाना है। उस पर दृष्टिपात भी नहीं करता परन्तु वही ममाना उम्मी पत्र के अन्य पाठकों की दृष्टि में सबसे अधिक रुचिकर होता है।

४. विचार

समाचार पत्र का दूसरा कार्य विचार देना है। प्रारम्भ में शायद यह कार्य अत्यन्त गौण रहा हो, तथापि यह तो मानना पड़ेगा कि जन्मकाल से ही पत्र लोकमत को प्रभावित करने की भावना से प्रेरित होते रहते हैं। वर्तमान युग में तो समाचार पत्र जनता और सरकार के विचारों को प्रभावित करने का सबसे जवदस्त साधन माना जाता है।

समाचार पत्र पाठकों के मन पर निम्नलिखित उपायों से अपने विचारों का प्रभाव उत्पन्न करता है—

१. सम्पादकीय लेख द्वारा।
२. समाचारों के चुनाव द्वारा।
३. समाचारों के प्रदर्शन, शीर्षक-प्रयोग द्वारा।

किसी पत्र का सम्पादक सार्वजनिक विषयों पर अपना मत प्रकट करना चाहे तो उसके लिए सब से सीधा और सुलभ उपाय यह है कि वह सम्पादकीय लेख द्वारा अपने विचार प्रकाशित करे। लेखक के नामांकित लेखों द्वारा भी पत्र की सम्पादकीय नीति प्रकट की जा सकती है। सत्तार के जितने सम्मानित और प्रभावशाली पत्र हैं, उनके सम्पादकीय लेख बड़े मनोयोग पूर्वक पढ़े जाते हैं, क्योंकि उनसे स्पष्ट, निर्भयता-पूर्ण और प्रकट नीति प्रदर्शन की आशा रखी जाती है। त्रिम पत्र के सम्पादकीय लेखों में यह गुण है यह जनता की दृष्टि में सम्मान का पात्र समझा जाता है।

दूसरा उपाय जिनसे पत्र का सम्पादक पाठकों तक अपने विचार पहुँचा सकता है, समाचारों का चुनाव है। पत्र में

प्रति दिन कुछ समाचार तो ऐसे होते हैं जिनका प्रत्येक पत्र में दिया जाना आवश्यक है। पत्र की नीति कोई हो उन समाचारों की, घाशा तो प्रत्येक पाठक ही करता है, परन्तु बहुत से समाचार ऐसे भी रहते हैं जिनमें से काट-छांट करके चुनाव किया जा सकता है। चुनाव करते हुए प्रायः सम्पादक का मत कंचो का पत्रप्रदर्शक बन जाता है। जिन समाचारों को वह पाठकों तक पहुँचाना चाहता है उन्हें विस्तार से दे देता है और जिन्हें पसंद नहीं करता उन्हें काट कर फेंक देता है। राजनीति, धर्म, साहित्य आदि सभी दिशाओं में सम्पादक का कोई न कोई मत होता है। जो उस समय अपना प्रत्यक्ष भयवा परोक्ष अंतर दिखलाता है, जब किसी पत्र का सम्पादक समाचारों की काट-छांट करने बैठता है।

सम्पादकीय विचारों को प्रकट करने का सीमरा उपाय शीर्षक है। शीर्षकों का महत्व गठ ५० वर्षों में बहुत अधिक बढ़ गया है। शीर्षकों का प्रारम्भ तो केवल लेख का विषय सूचित करने के लिये ही हुआ था, परन्तु धीरे-धीरे वे पाठकों का ध्यान आकृष्ट करने, रसि यगाने और मन्मति द्वारा परोक्ष रूप से सोचमत को प्रभावित करने के काम में आने लगे हैं। अब तो शीर्षक बनाना स्वयं एक कला बन गया है। समाचारों की काट-छांट और शीर्षकों द्वारा ठंडे तरीके पर सोचमत को प्रभावित करना पत्रकारिता के अनुरूप है या प्रतिष्ठान, इस प्रश्न पर हम यहाँ विचार नहीं करेंगे। जो बातें पत्रकार बनना का अंग बन चुकी हैं और जिनका प्रयोग सर्वसम्मत हो गया है, उन्हें जानना और उनके प्रयोग की विधि में निपुण होना प्रत्येक पत्रकार

समाचार पत्रों की शक्ति

१. पत्रों की शक्ति का रूप

वर्तमान सभ्य संसार में समाचार पत्रों ने जो शक्ति प्राप्त कर ली है, वह संभवतः अपूर्व शक्ति है। पुराने इतिहास में केवल दो संस्थाएँ इससे मिलती जुलती शक्ति प्राप्त कर चुकी हैं। कई देशों में एक समय राजा या राज्य की शक्ति सर्वोपरि मानी जाती थी। मनुष्य जीवन का कोई धर्म उसके घसर से बाहर नहीं था। दूसरे समय, धर्माधिकारी लोग राजा और प्रजा दोनों से अधिक शक्ति सम्पन्न हो गये थे। समाचार पत्रों की वर्तमान शक्ति में राज्य और धर्म की भूतपूर्व शक्ति से यह विशेषता है कि जहाँ यह शक्ति दण्ड पर आश्रित थी, वहाँ यह शक्ति लोकमत पर आश्रित है। दारौरिक अथवा सामाजिक दण्ड देने की सीधी शक्ति न रहते हुए भी केवल लोकमत के बल पर वर्तमान समाचार पत्र इनने सशक्त हैं कि उन्हें कभी 'फोर्ब एस्टेट' कभी 'पावर बिहाइण्ड दो प्रोन' और कभी 'घाल पावर फून' आदि नामों से पुकारा जाता है। बड़े से बड़े शक्ति संग्रह व्यक्ति यह जानने को उत्तुंग रहते हैं कि पत्र उनके बारे में क्या लिखते हैं। कभी राज्य पत्रों का मत जानने के लिये और

पत्रों की प्रभावित करने के लिये विशेष विभाग की स्थापना करते हैं। धर्माचार्य अपने विचारों को प्रकट करने के लिये पत्र का मुंह देखते हैं। यह तो हुई बड़े व्यक्तियों की बात। मध्यम श्रेणी और छोटी श्रेणी के लोगों में भी समाचार पत्रों की परवाह कुछ कम नहीं है। वह पत्रों की ही अपना मार्गदर्शक मानते हैं और उन्हीं से आवाजों की आशा रखते हैं। ऐसे लोग तो बहुत से मिल जायेंगे, जो यह कहें कि 'हमें पत्रों की परवाह नहीं', 'यह कुछ कहें, हम तो अपने मन की करते हैं,' परन्तु ऐसे लोग बहुत ही कम—शायद लाखों में दो एक मिलेंगे, जो गायंजनिक, देश वा, कोई धर्म करने अथवा सार्वजनिक विषय पर मत प्रकट करने के पश्चात् उत्सुकता से पत्रों को न देखते हों कि समाचार पत्र उस पर क्या राय देते हैं। यह उत्सुकता समाचार पत्रों की शक्ति का प्रमाण है।

पत्रोंका इतिहास शक्ति के उज्ज्वल दृष्टान्तों से भरा हुआ है। इंग्लैण्ड के शक्तिशाली पत्रों में 'टाइम्स' का नाम सर्वोच्च समझा जाता है। यह स्याति उस पत्र को वर्तमान नीति के कारण नहीं मिली। इस स्याति का जन्म तब हुआ था, जब उत्तरीसवी सताब्दी के मध्य में विलेन के सम्पादकत्व में 'टाइम्स' योग्य के शासकों के लिये आतंक का कारण बना हुआ था। विलेन समाचार पत्रों की निर्भय स्वाधीनता का सारा नमूना था। उत्तरी सम्पादकता में 'टाइम्स' को "दी सप्टर" स्यनाद के नाम से पुकारा जाता था। 'टाइम्स' का अश्लेष भाषा में सेजरपी, भाष में सपचा और भाषना में निर्भय होता था। 'टाइम्स' की निर्भयता का एक दृष्टान्त प्रसिद्ध है। १६५१ में

लूई नैपोलियन ने फ्रान्स की रिपब्लिक को तोड़ कर जबरदस्ती से अपने आपको फ्रान्स का सम्राट घोषित कर दिया। उस समय इंग्लैण्ड के प्रधान मंत्री लार्ड जान रसल और विदेश सचिव लार्ड पामस्टन थे। इंग्लैण्ड के उस समय के शासक प्रारम्भ से ही फ्रान्स की राज्य-क्रान्ति और प्रजातन्त्र के विरोधी थे। लार्ड पामस्टन ने न महारानी विक्टोरिया से राय ली और न पार्लियामेंट के अन्य सदस्यों से सलाह की और इंग्लैण्ड की ओर से लूई नैपोलियन की सरकार को स्वीकार कर लिया।

इस समाचार के मिलने पर 'टाइम्स' के सम्पादक ने लार्ड पामस्टन और उसकी नीति के विरुद्ध 'बख्शनाद' प्रारम्भ कर दिया। 'टाइम्स' के लेखों से लूई नैपोलियन इतना विचलित हो गया कि उसने इंग्लैण्ड के मन्त्रीमण्डल से 'टाइम्स' के मुंह पर लगाम लगाने की मांग की। उस समय का 'टाइम्स' मन्त्रिमण्डल के वश का नहीं था, उसका बख्शनाद जारी रहा। परिणाम यह हुआ कि शीघ्र ही लार्ड पामस्टन को विदेशमन्त्री पद से हटा दिया गया, और लगभग दो मास में लार्ड रसल का मन्त्रिमण्डल ही पदच्युत हो गया। नये प्रधानमन्त्री लार्ड डर्बी ने 'टाइम्स' की भाषा की निन्दा करते हुए 'टाइम्स' के सम्पादक को यह पाठ पढ़ाने की चेष्टा की कि पत्रकार का कर्तव्य है कि वह देश का शासन करने वाले राजनीतिज्ञों के उत्तरदायित्व का भागीदार हो। डिलेन ने उत्तर दिया कि पत्रकार जनता का प्रतिनिधि है, शासकों का नहीं। वह जनता के प्रति उत्तरदाता है, शासकों के प्रति नहीं। डिलेन आदर्श सम्पादक था। ऐसे ही सम्पादकों के कारण 'टाइम्स' का शिष्टा

राज्य और प्रजा के हृदयों पर जमा था।

ऐसे दृष्टान्त अन्य देशों में भी मिल जायेंगे। भारतवर्ष में ऐसे पत्र तो कम हैं जिनका राज्य और प्रजा में समान रूप से प्रसर हो, क्योंकि यहाँ राजा और प्रजा की राष्ट्रीयता अलग अलग है, फिर भी यहाँ के समाचार पत्रों की शक्ति अनेक अवसरों पर स्पष्ट रूप से प्रकट हो चुकी है। अब से २५-३० वर्ष पूर्व भारत की सरकार समाचार पत्रों की आलोचना की उपेक्षा किया करती थी। भारतीय समाचार पत्रों का प्रभाव ज्यों-ज्यों बढ़ता गया, त्यों-त्यों भारतीय सरकार को उसके प्रति विधान के नये-नये उपाय काम में साने पड़े। ऐसे बठोर कानून बनाये गये, जिनका उद्देश्य पत्रों की स्वाधीनता को कुचलना था। और ऐसे प्रकाशन विभाग खोले गये, जिनका लक्ष्य भारतीय पत्रों का उत्तर देना या समाधान करना था। प्रेम संबन्धी कानून, और सरकारी प्रकाशन विभाग भारतीय पत्रों की बढ़ती हुई शक्ति के दो ज्वलन्त प्रमाण हैं।

भारत के पत्रों का इतिहास 'टाइम्स' की ऊपर दी गई घटनाओं के महत्त्व दृष्टान्तों से शून्य नहीं है। भारतीय समाचारपत्रों के रोमांचकारी बलिदानों की कहानी तो विगी टूमरे परिच्छेद में दी जायगी, यहाँ तो केवल इतना ही निर्देश करना अभीष्ट है कि भारत के अनेक राष्ट्रीय पत्रों की जीवनगाथा, बीरतापूर्वक पत्रकला के इतिहास का एक उज्ज्वल अध्याय समझी जायगी, जिस पर भारत की अभिमान होगा। उन पत्रों के अद्भुत ग्राह्य और बलिदानों की ही इना है कि आज भारत की विदेशी सरकार को भी भारतीय पत्रों की शक्ति के

सामने सिर झुकाना पड़ता है।

शक्ति के आधार

हमने देखा कि जन्मकाल से ही समाचार पत्रों की शक्ति निरन्तर बढ़ती गई है। वह यहां तक बढ़ी है कि आज उसका सिक्का राजा और प्रजा दोनों को मानना पड़ता है। अब हम इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करेंगे कि पत्रों की इस शक्ति के मौलिक कारण क्या हैं? इस विवेचन से हमें यह निश्चय करने में सहायता मिलेगी कि पत्रों का प्रभाव भविष्य में बढ़ेगा या घटेगा? हम यह भी जान सकेंगे कि यदि समाचार पत्र अपनी शक्ति को कायम रखना चाहते हैं तो उन्हें अपनी किन-किन विशेषताओं की रक्षा करनी चाहिये।

(क) जनता की यह भावना कि समाचारपत्र में प्रकाशित समाचार सत्य है।

समाचारपत्र पढ़ी लिसी जनता की दृष्टि में संसार का वास्तविक चित्र मानकर भादर की दृष्टि से देखा जाता है। यह आजकल की बात नहीं, जन्मकाल से ही पत्र के साधारण पाठक उसमें दिये गये समाचारों को सच्चा मानते रहे हैं। यह समाचार पत्र की शक्ति की आधारशिला है। यदि साधारण पाठक पत्र की बात को सच्चा न समझे तो उसे सरीदने या पढ़ने का कष्ट कभी न उठाये। समाचार पत्र में दिये गये समाचारों को साधारण पाठक तब तक निर्घात सत्य मानते रहते हैं, जब तक उसका प्रतिवाद न हो जाय। इस भावना का आधार प्रारम्भिक समाचार पत्रों का सत्य-प्रेम है। उनके सम्पादक उन समाचारों को प्रकाशित करते

ये, जिन्हें वह सत्य समझते थे। सम्पादक की समझ में भूल हो सकती है, परन्तु यदि उनकी धारणा यह है कि जिसे वह सच-मुच सत्य समझता है उसे प्रकाशित करता है, तो पाठकों पर सचाई का प्रभाव पड़ना भावश्यक है। आदिकाल के समाचार-पत्रों में यह सत्य की भावना प्रबल थी। तब से अब तक सभी प्रभावशाली पत्रों में न्यूनाधिक मात्रा से यह धारणा विद्यमान रही है। समाचारपत्रों पर पाठकों का जितना विश्वास अब तक विद्यमान है, उसका मूलधार पत्र सम्पादकों की सत्य भावना ही है। हमारा यह अभिप्राय नहीं है कि पत्र-सम्पादकों में सत्य की भावना भावश्यक रूप से प्रबल रहती है। इनमें अपवाद है, और दायद समय के साथ साथ निग्रम की अपेक्षा अपवादों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो भी यदि पाठकों की आस्था समाचारपत्रों में विद्यमान है तो यह उन सम्पादकों के सत्यप्रेम का परिणाम है, जिन्होंने भय या सोभ को सात मार कर यथाशक्ति सच्चे समाचारों को जनता तक पहुँचाने का प्रयत्न किया है। समाचारपत्रों की शक्ति का मुख्य आधार सर्व-साधारण की यह धारणा है कि उनमें छदे हुए समाचार सामान्यतः सत्य होते हैं।

(ग) जनता की यह भावना कि समाचारपत्र में प्रकाशित सम्मति निष्पक्ष है।

जैसे समाचारों के सम्बन्ध में सर्वसाधारण की यह भावना रहती है कि यदि वह समाचार पत्र में छत्र गये हैं तो सत्य ही होंगे, वैसे ही पत्र के सम्पादकीय स्तम्भों में प्रकाशित सम्म-तियों की सर्वसाधारण पाठक हम दृष्टि से देखते हैं कि यह पक्ष-

पात को छोड़ कर केवल लोकहित की दृष्टि से प्रकाशित की गई हैं। यदि यह दृष्टि न रहे तो उनका जनता के मन पर कोई असर न हो। असर होता है, इससे प्रकट है कि जनता पत्र सम्पादकों को कम से कम ईमानदार व्यक्ति अवश्य सम्मती है। कोई सम्मति ठीक है या गलत, यह तो सम्मति का प्रश्न है, परन्तु मुख्य प्रश्न यह है कि सम्मति देने वाले ने पक्षपात छोड़कर, सचाई से सम्मति दी है, या लोभ, भय या विद्वेष की भावना से प्रेरित हो कर पक्षपात पूर्ण सम्मति प्रकाशित की है। ईमानदारी से प्रकाशित सम्मति के लिये आदर, और वैईमानी से प्रकाशित सम्मति के लिये निरादर का भाव उत्पन्न होना स्वाभाविक है।

यदि राज्य और प्रजा की दृष्टि में समाचार पत्रों की सम्मतियों का कोई मान है, और यदि जनता के मस्तिष्क पर पत्रों का कोई अधिकार है, तो यह उन अनगिनत पत्रकारों के आदरणीय बलिदानों की कृपा है, जिनके नाम समाचार पत्रों के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखे हुए हैं। उन पत्रकारों ने सत्य के नामने राजा के प्रसाद और धर्मियों की कृपादृष्टि को तूण समान समझा, उन पत्रकारों ने धर्मकण्ठ की वरदान और जेल को मोक्ष मान कर सहर्ष स्वीकार किया। भय उन्हें कसैय्य से न डिगा सका, और लोभ उन्हें बुरे मार्ग पर न ले जा सका। यह उन पत्रकारों की वीरता और त्यागभाव का ही फल है कि कई संशों में ऊँचे आदरों से गिरकर भी धाज का समाचार-पत्र-समुदाय नामकों के आतंक और जनता के आदर का कारण बना हुआ है। पत्रों की शक्ति का दूगला कारण जनता

के हृदयों में बैठी हुई यह भावना है कि पत्र सम्पादक की सम्मति ईमानदारी से दी गई है, इन कारण ठीक ही है।

(ग) जनता की यह धारणा कि समाचार पत्र का लक्ष्य लोकहित है।

समाचारों की शक्ति के आधार में जनता की यह भावना भी काम करती है, कि समाचार पत्रों का वास्तविक उद्देश्य लोकहित और लोकसेवा है। यह भावना मुख्यतः दो कारणों से उत्पन्न हुई है। पहिले तो यह कारण है कि अनेक समाचार पत्रों के संचालक जिनमें भूत और वर्तमान दोनों के ही पत्रकार शामिल हैं—मुख्यतः लोकसेवा के भाव से प्रेरित होकर ही पत्र-संचालन करते रहे हैं। पत्रों की निष्पक्ष लोकसेवा का इतिहास इतना उज्ज्वल है कि हमने सम्पूर्ण समाचारपत्र-जगत् को उज्ज्वल रूप दे दिया है। दूसरा कारण यह है कि प्रत्येक समाचार पत्र जन्मकाल में संसार की विश्वास दिलाता है कि उसका एकमात्र लक्ष्य लोकसेवा है और फिर समय समय पर वह इन दावे को दोहराता रहता है। पाठक समाचार पत्रों के वाक्य को मत्स्य मानने के अभ्यासी हो गये हैं, इस कारण वह यह भी विश्वास करते हैं कि समाचार पत्रों का प्रधान लक्ष्य लोकसेवा है। समाचार पत्रों की शक्ति का तीसरा कारण पाठकों की उपर्युक्त भावना है।

इन प्रकार मत्स्य, निष्पक्षता और लोकहित की भावना-पत्रों की शक्ति के यह तीन आधार हैं।

भारत में पत्रकारिता—क्या मिशन से व्यवसाय बनेगा ?

जब तक देश पराधीन था और देशवासियों का ध्यान स्वाधीनता प्राप्त करने की ओर लगा हुआ था, तब तक देश के समाचार पत्र स्फटिक रूप से दो भागों में बंटे हुए थे। कुछ पत्र ऐसे थे जिनका लक्ष्य व्यवसाय था। वे संकट से भरे हुए रास्ते को छोड़ कर सदा सुरक्षित राजमार्ग पर चलना पसन्द करते थे और यह ध्यान रखते थे कि उनके किसी लेख भ्रमवा समाचार से अधिकारियों को असन्तोष न हो। वे या तो राजनीति में उदासीन बृत्ति रखते थे भ्रमवा सरकार के समर्थक बने रहते थे।

दूसरी श्रेणी के समाचार पत्र वे थे जिनका लक्ष्य देश की पराधीनता से मुक्त कराना था। उन्हें प्रचलित भाषा में 'मिशन वाले पत्र' कहा जा सकता है। उनका लक्ष्य पत्र कमाना नहीं था। इस कारण वे संकटों की परवाह न करके कंटकाकीर्ण मार्ग पर चलने के लिये सदा उत्पन्न रहते थे।

यों तो मिशन वाले समाचार पत्रों का जन्म बहुत पहिले हो गया था। सन् १७ की राज्यक्रान्ति के इतिहास की सामग्री

संग्रह करते हुए कई ऐसे कई समाचार पत्रों के अंक मिले हैं, जिनका उद्देश्य अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध हान्ति पैदा करना था। परन्तु अर्वाचीन काल में सत्य सिद्धि के लिये निकाले गये समाचार पत्रों का प्रारम्भ लोकमान्य तिलक के 'केसरी' से होता है। बम्बई, कलकत्ते और मद्रास से कई प्रभावशाली समाचार पत्र इससे भी पूर्व निकल आये थे। पर वह जान हथेली पर लेकर नहीं निकले थे। उन्हें प्रचारक तो कहा जा सकता है, किन्तु सिपाही नहीं कहा जा सकता। पूना के 'केसरी' ने समाचार पत्रों की उस शृंखला का प्रारम्भ किया, जिन्हें स्वाधीनता के सिपाही कहा जा सकता है। उनका एक विशेष सद्य था, जिसकी पूर्ति के लिये वे अपना सब कुछ बाजो पर रत देते थे।

देश में ज्यो-ज्यों शिक्षा की वृद्धि और स्वाधीनता प्राप्ति की भावना का प्रसार होता गया, त्यों-त्यों ऐसे समाचार पत्रों की संख्या बढ़ती गयी। यह ठीक है कि उन समाचार पत्रों पर संकट आते थे, परन्तु यह भी सत्य है कि उन संकटों का कुछ पुरस्कार भी था। संकट प्रायः उन लोगों की ओर से आते थे, समाचार पत्रों में जिनकी कड़ी आलोचना होती थी। अंग्रेजी सरकार, देशी रियासतें और कभी कभी सरकार भक्त भारतवासी भी उन समाचार पत्रों के आलोचना रूपी शेरों के निवार करते थे। समानोचना के उत्तर में समाचार पत्रों को जो प्रहार सहने पड़ते थे, उन्हें अस्त्रों का नाम दिया जा सकता है। सरकार के पास '१२४ ए', नरेशों के पास 'प्रिन्स प्रोटेक्शन एक्ट' और धनी व्यक्तियों के पास 'अपें दण्ड' आदि

अस्त्र ऐसे थे, जिनका प्रयोग बिना किसी लटके के किया जा सकता था।

यह तो थे संकट। ये असह्य हो जाते यदि इनके साथ लगे हुए पुरस्कार न होते। वे पुरस्कार जनता की ओर से प्राप्त होते थे। ध्येय पर मर मिटने वालों को ऐसे ही पुरस्कार मिलते हैं। सर्व साधारण जनता उनसे प्रेम करती थी, आदर करती थी और आत्यक्षिकता पड़ने पर शक्ति के अनुसार उनकी आर्थिक सहायता भी करती थी।

उन दिनों पत्रकारिता एक मिशन था। पेशा नहीं था। जो पत्रकार तदर्थ वाले समाचार पत्रों में काम करने जाते थे, वे अपने मन को धरने वाले संकटों के लिये तैयार कर लेते थे। वे सोच लेते थे कि संभव है, पत्र के बन्द हो जाने के कारण हमें शीघ्र ही बेरोजगार हो जाना पड़े, पत्र के चलते रहने की दशा में भी संभव है निर्वाह मात्र वेतन मिले और यह भी संभव है कि '१२४ ए' की धारा जेल में पसीट ले जाए—ये इन सब सम्भावनाओं को मन में रस कर पत्रकार बनते थे। इस कारण उनका हृदय संतुष्ट रहता था। एक ऊँचे ध्येय की गरमी उनके शरीर की गरम रखती थी और उन्हें संकटों के नीचे दब कर मरने से बचाती थी।

अंग्रेजी सरकार और उसके सहायकों को यह भाशा थी कि वे दमन के साधनों द्वारा स्वतंत्र समाचार पत्रों को या तो समाप्त कर देंगे अथवा उनके पर काट देंगे। परन्तु जनता की सहानुभूति और गहायता ने स्वतंत्र समाचार पत्रों को न मरने दिया और न निर्बल होने दिया। दमन का प्रभाव उल्टा

के समाचार पत्रों के लिये घोर प्रतिस्पर्धा की मुसोबत रही हो गयी। उनके लिये दो ही रास्ते खुले थे—या तो ग्राहक घटने के कारण बन्द हो जाएं अथवा पृष्ठ संख्या बढ़ाकर आर्थिक बोझ के नीचे दब जाएं।

२—नये सम्पन्न समाचार पत्रों में काम करने वाले पत्रकारों का वेतन-स्तर ऊंचा हो गया। प्रत्यक्ष में यह बात पत्रकारों के लाभ की थी। प्रतिस्पर्धा में सड़े रहने के लिये अन्य समाचार पत्रों के संचालकों को भी वेतन स्तर ऊंचा करना पड़ा। इसका भी स्वतंत्र समाचार पत्रों की आर्थिकस्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा।

३—इन दोनों प्रतिस्पर्धाओं का सम्मिलित प्रभाव यह हुआ कि बहुत से सामान्य स्थिति के पत्र बन्द हो गये। धीरे धीरे चलने वाले पत्रों की संख्या कम और बन्द होने वाले पत्रों की संख्या अधिक होती गयी। दृष्टान्त रूप में यदि दिल्ली को ही लें तो बात समझ में आ जायेगी। गत १५ वर्षों में इस प्रान्त में बन्द हुए हिन्दी दैनिक पत्रों की संख्या एक दर्जन से अधिक है, और इस समय चलने वाले हिन्दी दैनिकों की संख्या तीन है। जो पत्र बन्द हुए, उनके सम्पादकीय विभाग में काम करने वाले अधिकतर पत्रकार बेरोजगार हो गये और कई अब तक बेरोजगार हैं। यह ठीक है कि तीन पत्रों के पत्रकारों की स्थिति सुधर गयी, परन्तु यह भी मानना पड़ेगा कि उतने चौगुने पत्रों में कार्य करने वाले पत्रकारों की स्थिति बिगड़ गयी। यह अच्छा हुआ या बुरा, इसका उत्तर पाठक स्वयं दे सकते हैं। जब तक अंग्रेज भारत में रहे, तब तक ये सम्पत्ति-

शाली नये पत्र राजभक्ति और राजद्रोह के बीचोंबीच अपनी किस्ती को चलाते रहे। वे पाठकों की नज़र को पहचानते थे और साथ ही स्वभाव से सावधान थे। इस कारण उनका बच-बच कर चलना सम्भव था।

१९४७ के अगस्त मास में भारत में स्वराज्य स्थापित हो गया। नयी परिस्थिति के धनिक समाचार पत्रों ने पूरा लाभ उठाया। धन उनके लिए उतनी सावधानता की आवश्यकता न रही, क्योंकि राजभक्ति और देशभक्ति में कोई विरोध न रहा। उनमें सब प्रकार की गक्ति अधिक मात्रा में थी। धन: राष्ट्रीय सरकार का ध्यान भी उनकी ओर ही सिख गया। परिणाम यह हुआ कि जो मध्यम श्रेणी के स्वतंत्र समाचार-पत्र स्वाधीनता के युद्ध में वर्षों तक जूझते रहे, वे एक-एक करके बन्द होने लगे अथवा धनिक पत्रों के पेट में बिलीन होने लगे। यह निश्चित बात है कि पिछले आठ वर्षों में भारत भर में जितने समाचार पत्रों का जन्म हुआ, उन्से कई गुना अधिक समाचार पत्रों की मृत्यु हुई। जो जीवित रहे, उनमें से अधिकांश धनिक पत्रों के संचालकों के कृपे में शामिल हो गये। इस उलट-फेर ने बीसियों पत्रकारों को बेरोज़गार करके निशियों की बेरोज़गारी की समस्या को बढ़ा दिया।

यही परिस्थिति थी जिसका उपाय सोचने के लिये सरकार ने प्रेम आयोग का निर्माण किया था। उसके सामने जो प्रश्न रखे गये थे, उन्हें मंथन में मोटे तीन प्रश्नों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है।

१. क्या यह उचित है कि समाचार पत्र धीरे धीरे कुछ

थोड़े से पूँजीपतियों के हाथ में घा जाएं, जो अनेक स्थानों से निकलने वाले विविध पत्रों को घपवा एक ही नाम से अनेक श्रृंखलाबद्ध पत्रों द्वारा सम्पूर्ण समाचार पत्र-व्यवसाय को घपने हाथ में ले लें ?

२. यह आवश्यक नहीं है कि साधारण श्रेणी के स्वतन्त्र समाचार पत्रों की रक्षा की जाए ?

३. क्या पत्रकारों की स्वाधीनता और अधिक भलाई की रक्षा के लिये उनके वेतन स्तर और अधिकारों की कानून द्वारा रक्षा करना उपयुक्त नहीं है ?

मोटे रूप में आयोग के सामने ये प्रश्न थे । आयोग ने इन प्रश्नों का थोड़ा बहुत समाधान करने का यत्न किया । उसकी रिपोर्ट पर संसद के दोनों भागों में जो वाद-विवाद हुआ, उसने प्रकट कर दिया है कि देश के प्रतिनिधियों का बहुमत आयोग की सिफारिशों के अनुकूल है । यह असंदिग्ध है कि यदि आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह कार्यान्वित किया जाए तो अब भी समाचार पत्रों की व्यवसाय का पुच्छला बनने से रोका जा सकता है । यदि पत्रों का ध्येय केवल धर्मो-पाजन ही हो गया, तो समाज का जितना कल्याण करेगा उससे अधिक अकल्याण भी ही सकता है । सरकार की ओर से संसद की बहुमत का उत्तर देते हुए प्रसारमंत्री ने जो भाषण दिया उसमें यह ध्येय निहित होता था कि पत्रकारों को कारगाने के मजदूरों जैसा वेतनादि सम्बन्धी अधिकार देने के प्रतिरिक्त अन्य विषयों में सरकार पत्रकार व्यवसाय को भी प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में गंभीरता के लिये छोड़ देना चाहती है । समाचार पत्र

को साधारण व्यवसाय नहीं समझा जा सकता, यह देन की जनता का शिक्षक है, यह लोकमन बनाता है और देन को शान्ति अथवा युद्ध की ओर ले जाने का मुख्य साधन है। सरकार यदि ठीके साधारण व्यवसाय समझ कर प्रतिस्पर्धा के अर्थण कर देगी तो कोई ऐसा समय आयेगा जब स्वयं उसे पछताना पड़ेगा। यह अपने आपकी नीति के निर्माण में पराधीन पाएगी, क्योंकि देन का लोकमन छोड़ने में अर्थपतियों के हाथों में केन्द्रित हो जाएगा।

प्रसारमंत्री के भाषण से प्रतीत होता था कि अभी प्रायः सभी शुद्ध विचाराधीन है। आशा रखनी चाहिये कि आयोग की रिपोर्ट पर सरकारी विचार का जो पैबन्द सनेगा, उससे देन के समाचार पत्र केवल व्यवसाय के अंग न बन कर एक स्वतन्त्र गणराज्य की आत्मा के पहरेदार बने रह सकेंगे।